एस. रामचंद्र राव

वी.

एस. नागभूषण राव और ओआरएस।

(सिविल अपील सं। 7691-7694 2022 का)

19 अक्टूबर, 2022

[दिनेश माहेश्वरी और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

सिद्धांत/सिद्धांत-न्यायपालिका का सिद्धांत-अधिवक्ता अधिनियम, 1961 का अनुप्रयोग। 32 - उच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है

एक जी. पी. ए. धारक के लिए कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति, अपीलार्थी (उसके जी. पी. ए. धारक) की पत्नी को अपने पति, वादी की ओर से एक वकील के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई थी, इन मामलों में-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः न्यायनिर्णायक सिद्धांत न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाहियों में बल्कि उसी कार्यवाहियों के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है-एक बाध्यकारी निर्णय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और यहां तक कि एक ही मुकदमे के पक्षकारों पर और उसी मुद्दे के संबंध में एक गलत निर्णय भी बाध्यकारी रहता है, यदि सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो इस तरह के बाध्यकारी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत पूर्ववर्ती पर लागू होता है न कि न्यायनिर्णायक के सिद्धांत पर-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय द्वारा 20.04.2018 और 14.12.2018 पर इन मामलों में पारित पिछले आदेश, अपीलार्थी की पत्नी की भागीदारी के मुद्दे के संबंध में, अपीलार्थी के GPA धारक के रूप में इन कार्यवाहियों में बाध्यकारी रहते हैं। इन कार्यवाहियों में फिर से, भले ही उसे ऐसी अनुमति देने वाले पहले के आदेशों को गलत होने का सुझाव दिया गया हो-उच्च न्यायालय के पिछले समाप्त आदेशों का अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव।

आई. डी. 2 और आई. डी. 1 दिनांकित न्यायालय स्पष्ट और स्पष्ट था कि इन मामलों में, अपीलार्थी की पत्नी केवल जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होने की हकदार होगी, न कि एक अधिवक्ता के रूप में। 32 1961 के अधिनियम के अनुसार, जिसके द्वारा कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति किसी गैर-अधिवक्ता को उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है या किसी विशेष मामले में उसे इस रूप में पढ़ा जाना मुश्किल है

यदि उक्त जी. पी. ए. धारक 451 [2022] 17 एस. सी. आर. है, तो किसी पार्टी के जी. पी. ए. धारक को उस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने में एक संबंधित बार बनाना।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो जाता है-वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां एकमात्र संयोगपूर्ण घटना यह थी कि अपीलार्थी की पत्नी, जो पहले से ही अपने सामान्य महाधिवक्ता धारक के रूप में कार्य कर रही थी, ने बाद में कानून की डिग्री ली और खुद को एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया, उच्च न्यायालय ने कार्यवाहियों के पिछले दौर में, सावधानीपूर्वक कानून की आवश्यकताओं को संतुलित किया था। विशेष रूप से सी. पी. सी., राज्य में सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस और 1961 के अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि अपीलार्थी की पत्नी केवल उसके जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होगी न कि एक अधिवक्ता के रूप में-इसके अलावा, अधिकार क्षेत्र या वैधानिक निषेध जैसा कोई प्रश्न दिनांकित 20.04.2018 और 14.12.2018 के उक्त आदेशों से उत्पन्न नहीं होता है, जिसके लिए, इस प्रकार समाप्त किए गए मुद्दे को बाद के चरण में फिर से शुरू किया जा सकता है।

इन कार्यवाहियों की अलग-अलग व्याख्याओं का सुझाव देते हुए विवादित सामान्य आदेश दिनांक 28.06.2019 को अलग कर दिया गया है; और

ट्रायल कोर्ट द्वारा दिनांकित 07.02.2019 द्वारा पारित आदेशों को पावर ऑफ अटॉर्नी-कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, 1908-बहाल किया गया है। एस. 11.

सिद्धांत/सिद्धांत-रेस जुडिकाटा का सिद्धांत-'रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओसीपिटुर'-'नेमो डेबेट बिस वेक्सारी प्रो उना एट ईडेम कौसा'-के उद्देश्य और ढांचे पर चर्चा की गई।

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 - धारा 32-विशेष मामलों में पेशी की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति-आयोजितः अनुमति यू / एस. 32 का

1961 का अधिनियम, अपनी प्रकृति से, मामले-दर-मामले के आधार पर दिया जाना है और किसी विशेष मामले और किसी विशेष व्यक्ति के लिए संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट के संदर्भ में भी अस्वीकार किया जा सकता है।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

1.1 धारा 11 सी. पी. सी. न्यायिक निर्णय के सिद्धांत की नींव नहीं है, बल्कि केवल इसकी वैधानिक मान्यता है और,

इसलिए, इसे कानून के सामान्य सिद्धांतों का संपूर्ण नहीं माना जाता है। यह माना जाता है कि इस सिद्धांत की कल्पना व्यापक सार्वजनिक हित में की गई है और यह समानता, न्याय और अच्छे विवेक पर आधारित है। इस पर शायद ही अधिक जोर देने की आवश्यकता है, लेकिन रेस के इस सिद्धांत के लिए।

वास्तव में, व्यक्तियों के अधिकार अंतहीन भ्रम में उलझे रहेंगे और कानून के शासन को बनाए रखने की नींव ही खतरे में पड़ जाएगी। भले ही इस सिद्धांत में कुछ एस. रामचंद्र राव बनाम है।

एस. नागभूषण राव और

ओआरएस।

तकनीकी पहलू, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दरियाव में समझाया गया है, यह बड़े पैमाने पर जनता के हित में है कि सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों के बाध्यकारी निर्णयों के साथ एक अंतिमता जुड़ी होनी चाहिए; और यह सार्वजनिक हित में भी है कि व्यक्ति को एक ही तरह की मुकदमेबाजी से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि देखा गया है, संविधान पीठ ने इस सिद्धांत को उच्च स्तर पर रखा है, इसे कानून के शासन का एक हिस्सा माना है। यह सिद्धांत कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है, शायद ही किसी संदेह या विवाद का विषय है। यहां तक कि एक गलत निर्णय भी एक ही मुकदमे के पक्षकारों के लिए और एक ही मुद्दे के संबंध में बाध्यकारी रहता है, अगर एक ही पक्षकारों के बीच एक अदालत द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। सक्षम क्षेत्राधिकार। [पैरा 9.3,9.4,9.5। 1 , 9.5. 2] [478 - डी; 479 ए-बी, डी, एफ]

दरियाव और ओआरएस। वी. यू. पी. और अन्य राज्य। आकाशवाणी 1961

एससी 1457: [1962] एस. सी. आर. 574-अनुसरण किया गया।

लाल चंद (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा। वी. राधा कृष्ण (1977) 2 एससीसी 88: [1977] 2 एससीआर 522; वाई. बी. पाटिल और अन्य। वी. वाई. एल. पाटिल (1976) 4 एससीसी 66 [1977] 1 एससीआर 320; गोरी गौरी नायडू (माइनर) बनाम। थांद्रोथु

बोडेम्मा (1997) 2 एससीसी 552 [1997] 1 एससीआर 118 -

पर भरोसा किया।

1.2 यह शायद ही संदेह की बात बनी हुई है कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत हर अच्छी तरह से विनियमित प्रणाली के लिए मौलिक है।

न्यायशास्त्र, सार्वजनिक नीति के विचार पर आधारित होने के लिए कि एक न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक ही तरह के मुकदमे से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। रेज़ जुडिकाटा का यह सिद्धांत न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है। इसके अलावा, एक बाध्यकारी निर्णय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और यहां तक कि एक गलत निर्णय भी एक ही मुकदमे के पक्षकारों पर और एक ही मुद्दे के संबंध में बाध्यकारी रहता है, अगर सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के बाध्यकारी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सिद्धांत पूर्ववर्ती पर लागू होता है और

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के लिए नहीं। इन सिद्धांतों के सही अनुप्रयोग में, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा इन मामलों में [2022] 17 एस. सी. आर. के संबंध में 20.04.2018 और 14.12.2018 पर पारित आदेश।

अपीलार्थी की पत्नी की इन कार्यवाहियों में अपीलार्थी के जी. पी. ए. धारक के रूप में भागीदारी का मुद्दा पक्षों के लिए बाध्यकारी रहता है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, अपीलार्थी की पत्नी की इन कार्यवाहियों में भाग लेने की क्षमता से संबंधित इस मुद्दे को उसके जी. पी. ए. धारक के रूप में इन कार्यवाहियों में फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है, भले ही पहले के आदेश हों।

उसे ऐसी अनुमति देना गलत माना जाता है। [पैरा 10,10.1] [480-बी-एफ]

1.3 अतः इन अपीलों में प्रश्न यह है कि क्या इन कार्यवाहियों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा समान पक्षों के बीच 20.04.2018 और 14.12.2018 पर पारित किए गए और वर्तमान मामलों में अपीलार्थी की पत्नी की क्षमता से संबंधित समान मुद्दों से निपटने वाले पिछले आदेशों को निर्णायक नहीं कहा जा सकता है और अधिकार क्षेत्र या वैधानिक निर्देश या निषेध के किसी भी प्रश्न के कारण न्यायिक निर्णय के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। यह न्यायालय उस तर्क की सराहना करने में असमर्थ है जो यह सुझाव देता है कि उक्त धारा 32 अपीलार्थी की पत्नी के लिए जी. पी. ए. धारक के रूप में अपने पति की ओर से उपस्थित होने के लिए अदालत की अनुमति लेने के लिए एक बाधा पैदा करती है क्योंकि वह एक नामांकित अधिवक्ता है। 1961 के अधिनियम की धारा 32 का सक्षम प्रावधान, जिसके द्वारा कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति

किसी गैर-अधिवक्ता को उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है या किसी विशेष मामले में उसे किसी पक्ष के जी. पी. ए. धारक को प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने में एक संबंधित बार बनाने के रूप में पढ़ा जाना मुश्किल है।

यदि उक्त जी. पी. ए. धारक न्यायालय में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो जाता है, तो वह पक्षकार। दूसरे शब्दों में, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले की स्थिति में कोई वैधानिक निषेध नहीं है, जिसके लिए किसी पक्ष के मौजूदा जी. पी. ए. धारक को केवल उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जी. पी. ए. धारक के रूप में, भले ही वह एक वकील के रूप में नामांकित हो। उच्च न्यायालय के दिनांक 20.04.2018 के पिछले निष्कर्षित आदेशों का अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव और

14.12.2018 यह स्पष्ट और स्पष्ट था कि इन मामलों में,

अपीलार्थी की पत्नी केवल जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होने की हकदार होगी न कि एक अधिवक्ता के रूप में। प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियाँ कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश किसी भी वैधानिक प्रतिबंध या निषेध के साथ टकराव में हैं या वे कानून के किसी भी ऐसे अनिवार्य प्रावधान से संबंधित हैं जो चल रहा है। उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाता है। [पारस 12,14,14.1] [483-जी; 484 सी-जी] एस. रामचंद्र राव बनाम।

एस. नागभूषण राव और

ओआरएस।

20.04.2018 और 14.12.2018 दिनांकित आदेश, उन आदेशों, जिनके पास समान पक्षों के बीच प्रस्तुत किया गया है और समान कार्यवाही में जी. पी. ए. धारक की उपस्थिति के समान मुद्दे पर, वास्तव में न्यायपालिका के रूप में कार्य करता है। वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, जहां एकमात्र आकस्मिक घटना हुई थी

अपीलार्थी की पत्नी केवल उसके जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होगी न कि एक अधिवक्ता के रूप में। दिनांक 20.04.2018 के उक्त आदेशों से अधिकार क्षेत्र या वैधानिक निषेध जैसा कोई सवाल नहीं उठता है। और 14.12.2018 जिसके लिए, इस तरह से समाप्त हुए मुद्दे को अलग-अलग व्याख्याओं का सुझाव देकर इन कार्यवाही के बाद के चरण में फिर से सक्रिय किया जा सकता है। [पैरा 14.2,14.3] [484-जीएच; 485-ए-सी]

पुनः इन मामलों में अपीलार्थी की पत्नी की क्षमता के संबंध में। उच्च न्यायालय उक्त पिछले अंतर-पक्षीय बाध्यकारी निर्णयों की अनदेखी करने में गंभीर त्रुटि में पड़ गया है। क्रम में विवादित, उच्च न्यायालय ने पहले भी इस मुद्दे को गलत तरीके से चित्रित किया है

यह। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मामले में निर्धारण का मुद्दा यह था कि क्या वादी के जी. पी. ए. धारक को एक वकील के रूप में कार्य करने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है। वादी-अपीलार्थी की ओर से यह बताया गया है कि उसके जी. पी. ए. धारक (पत्नी) ने कभी भी एक वकील की तरह काम करने और उस क्षमता में गवाहों से जिरह करने का प्रयास नहीं किया। कार्यवाही के पहले दौर में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि अपीलार्थी की पत्नी केवल अपीलार्थी के शक्ति एजेंट के रूप में कार्य करेगी, न कि एक अधिवक्ता के रूप में अपनी पेशेवर क्षमता में। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इसके बाद चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए,

संक्षेप में, न्यायालय के समक्ष यह निर्धारण था कि क्या [2022] 17 एस. सी. आर.

अपीलार्थी की पत्नी, उसके जी. पी. ए. धारक होने के नाते, गवाहों से जिरह करने की हकदार नहीं थी, जैसा कि विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 07.02.2019 के आदेश के पैराग्राफ 5 में दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी की आपत्तियों पर भी ध्यान दिया था कि अपीलार्थी की पत्नी, जी. पी. ए. धारक होने के नाते, केवल एक वकील को नियुक्त कर सकती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में भाग नहीं ले सकती है और गवाहों से पूछताछ नहीं कर सकती है या मामले पर बहस नहीं कर सकती है। यह तर्क दिया गया कि हालाँकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह उन्हें ऐसा कोई कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है जो केवल एक कानूनी व्यवसायी ही करेगा। विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेशों के संदर्भ में, निचली अदालत ने ऐसी आपत्तियों को सही ढंग से खारिज कर दिया था। [पारस 16,17] [488 ए-एफ]

1.6 उच्च न्यायालय ने पूरे मामले को पूरी तरह से गलत कोण से देखा है, यानी खुद को वास्तविक स्थिति पर गलत तरीके से निर्देशित करके।

निर्धारण के लिए बिंदु; समान कार्यवाही में समान पक्षों के बीच दिनांकित 20.04.2018 और 14.12.2018 के पिछले बाध्यकारी आदेशों के अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव को समझ में न लेकर; और उसी उच्च न्यायालय के खंड पीठ के फैसले का गलत उपयोग करके। इस गलत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने न्यायिक निर्णय के सिद्धांत की अनदेखी की है और ऐसे निर्देश जारी किए हैं जो पिछले बाध्यकारी आदेशों में निहित निर्देशों के बिल्कुल विपरीत हैं। 1961 के अधिनियम की धारा 32 के तहत अनुमति, अपनी प्रकृति से, मामले-दर-मामले के आधार पर दी जानी है और किसी विशेष मामले और किसी विशेष व्यक्ति के लिए संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट के संदर्भ में भी अस्वीकार की जा सकती है। विवादित सामान्य आदेश दिनांकित 28.06.2019 को अलग कर दिया गया है और परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांकित 07.02.2019 द्वारा पारित आदेशों को बहाल कर दिया गया है। [पैरा 18,20.2,21] [489 सी-डी; 490-डी-ई; 491-एफ]

मदुपु हरिनारायण @हरिबाबू प्रतिनिधि। उनके जी. पी. ए., टी. डी. दयाल बनाम। 1 सेंट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कडप्पा और अन्य। 2011 (2) एएलटी 405 (डी. बी.) - प्रतिष्ठित।

मखीजा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग। (पी) लिमिटेड बनाम। इंदौर विकास प्राधिकरण (2005) 6 एस. सी. सी. 304; एल. आर. एस. द्वारा एस. नागराज (मृत)। & ओआरएस। वी. बी. आर. वासुदेव मूर्ति और अन्य। (2010) 3 एससीसी 353: [2010] 2 एससीआर 586-पर निर्भर।

एस. रामचंद्र राव बनाम एस. नागभूषण राव

ओआरएस।

श्योपरसन सिंह और ओआरएस। वी. रामानंदन प्रसाद

नारायण सिंह और अन्य। ए. आई. आर. 1916 प्रिवी काउंसिल

78 ; श्रीमती डोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय बनाम। हिंगू मनोहर

मिसा [1962] 3 एस. सी. आर. 928; सतेंद्र प्रसाद जैन बनाम। राज्य

उत्तर प्रदेश (1993) 4 एस. सी. सी. 369: [1993] 2 पूरक। एससीआर 336;

अवध बिहारी यादव बनाम। बिहार राज्य (1995) 6 एससीसी 31

: [1995] 3 पूरक। एस. सी. आर. 197; नगरपालिका समिति बनाम

पंजाब राज्य (1969) 1 एससीसी 475: [1969] 3 एससीआर 447;

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण बनाम। नसीरुज़्ज़मान और

ओआरएस। (1996) 6 एससीसी 424: [1996] 5 पूरक। एससीआर 435;

मथुरा प्रसाद बाजू जैसवाल और अन्य। वी. दोसीबाई एन.

बी. जीजीभॉय (1970) 1 एस. सी. सी. 613: [1970] 3 एससीआर 830

संदर्भित किया गया।

-

मामला कानून संदर्भ

1962] 3 एससीआर 928

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.1

1993] 2 पूरक। एससीआर 336

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.2

1995] 3 पूरक। एससीआर 197

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.2

1962] एससीआर 574

पीछा किया।

पैरा 9.2

उस पर भरोसा करें

1977] 2 एससीआर 522

पैरा 9.3

1977] 1 एससीआर 320

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

1997] 1 एससीआर 118

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

2010] 2 एससीआर 586

उस पर भरोसा करें

पैरा 7

1969] 3 एससीआर 447

संदर्भित किया गया है

पैरा 11.2

1996] 5 पूरक। एससीआर 435

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

1970] 3 एससीआर 830

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं।

694 2022 तक।

उच्च न्यायालय के 28.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. पी. सं. में अमरावती में आंध्र प्रदेश का। 758 , 759 , 760 और 7

2019 .

गुरु कृष्णकुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. परमेश्वर, एम.

रघुप्रिया, प्रसाद हेगड़े, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री मेनका गुरुस्वामी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. भरत कुमार, ताडीमल्ला भास्कर गौतम, अमन शुक्ला, यश एस. विजय, एम. चंद्रकांत रेड्डी, गोपाल झा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे. छुट्टी दे दी गई।

2. ये अपील सिविल संशोधन याचिका संख्या में दिनांकित सामान्य आदेश 28.06.2019 के खिलाफ निर्देशित हैं। 758 , 759 , 760 & 761 2019 का, जैसा कि अमरावती में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने उसी तरह के आदेशों को मंजूरी नहीं दी है, जैसा कि विजयवाड़ा में तृतीय अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा एक ही प्रतिद्वंद्वी दलों के बीच चार अलग-अलग दीवानी कार्यवाही में पारित किया गया है।

3. संक्षेप में कहें तो मामले में शामिल मुद्दा उस क्षमता से संबंधित है जिसमें वादी-अपीलार्थी की पत्नी, जो जनरल है।

अपीलार्थी का पावर ऑफ अटॉर्नी 1 धारक और एक नामांकित अधिवक्ता भी है, जो उक्त दीवानी कार्यवाही में उसकी ओर से उपस्थित हो सकता है और कार्य कर सकता है। उन आदेशों को पारित करने से पहले भी जो विषय बनाते हैं - वर्तमान अपील, इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट द्वारा विभिन्न आदेश दिए गए थे

कार्यवाहियों के विभिन्न चरणों के साथ-साथ विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेशों को चुनौती देने वाले उच्च न्यायालय के कुछ आदेशों के लिए भी। इसमें, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अनिवार्य रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि केवल अपीलार्थी की पत्नी के लिए एक अधिवक्ता होने के नाते, उसके लिए अपने पति की ओर से जी. पी. ए. धारक के रूप में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से कोई निषेध नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वह अपने पति के शक्ति प्रतिनिधि के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगी, न कि एक अधिवक्ता के रूप में अपनी पेशेवर क्षमता में। इसी प्रस्ताव को ट्रायल कोर्ट द्वारा इन कार्यवाही में अपने दिनांकित आदेशों में दोहराया गया था, जबकि परीक्षण के खिलाफ आपत्ति को खारिज कर दिया गया था

जी. पी. ए. धारक के रूप में अपीलार्थी की पत्नी द्वारा गवाह। तथापि, दिनांक आई. डी. 1 के आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि उसी उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को देखते हुए, जी. पी. ए. धारक के लिए कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और इसलिए, चुनौती के तहत आदेशों को अस्वीकार करते हुए, अपीलार्थी की पत्नी को इन मामलों में अपने पति, वादी की ओर से अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई है।

1 1 'जी. पी. ए.', संक्षेप में।

एस. रामचंद्र राव बनाम एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

4. उपरोक्त रूपरेखा के साथ, हम निम्नलिखित प्रासंगिक पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दे सकते हैं:

4.1 . कुछ संपत्तियों के विभाजन के लिए एक दीवानी मुकदमा, 1995 का ओ. एस. संख्या 368, उक्त विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया, जिसमें

अपीलार्थी को तीसरे वादी के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी प्रस्तुत करेगा

कि 20.04.1987 पर, उन्होंने अपने भाई के पक्ष में जी. पी. ए. निष्पादित किया था, जो इसमें पहले प्रतिवादी (चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी) थे, जिन्होंने विभाजन के लिए उक्त दीवानी मुकदमे पर मुकदमा चलाया था। 17.09.1995 पर दायर एक समझौता ज्ञापन के आधार पर उक्त मुकदमे में एक डिक्री पारित की गई थी। अपीलार्थी आरोप लगाएगा कि वह उक्त दीवानी मुकदमा दायर करने के बारे में नहीं जानता था; कि डिक्री उसके हित के लिए हानिकारक थी और धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी; और इसलिए, उसने 26.01.1996 पर प्रथम प्रतिवादी के पक्ष में जी. पी. ए. को रद्द कर दिया। बाद में, अपीलार्थी ने अपनी पत्नी के पक्ष में एक अन्य जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिनांक 25.01.1997 को निष्पादित किया। इसके बाद, अपीलार्थी की ओर से, 1997 की आई. ए. संख्या 634 को 1995 की उक्त ओ. एस. संख्या 368 में उसके नए जी. पी. ए. धारक (उसकी पत्नी) द्वारा मुकदमे में पारित निर्णय और डिक्री को याद करने के लिए दायर किया गया था। इसके अलावा, अपीलार्थी ने अधिकार की घोषणा के लिए तीन और दीवानी मुकदमे दायर किए, जो (i) 1997 का ओ. एस. सं. 388 था। अधिकार, विभाजन और अन्य लाभ; (ii) 1998 का ओ. एस. सं. 104, अपीलार्थी के अभिकर्ता के रूप में अपनी पूर्व क्षमता में प्रतियोगी प्रत्यर्थी द्वारा कार्रवाई और बैंक लेनदेन के संबंध में खातों को प्रस्तुत करने के लिए; और (iii) विभाजन और अन्य लाभों के लिए 1998 का ओ. एस. सं. 445।

4.2 . जबकि उक्त चार दीवानी कार्यवाही लंबित रही, अपीलार्थी के जी. पी. ए. धारक, यानी उनकी पत्नी ने कानून में स्नातक किया और उन्हें वर्ष 2011 में एक वकील के रूप में नामांकित किया गया। 4.3 . <आई. डी. 1 पर, एक आवेदन, जो 2011 का आई. ए. सं. 1308 है, 1995 के ओ. एस. सं. 368 में 1997 के उक्त आई. ए. सं. 634 में दायर किया गया था।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के साथ पठित आदेश III नियम 2, अधिवक्ता अधिनियम, 19613 की धारा 32 के साथ पठित, आंध्र प्रदेश में सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 32 और 33 के साथ पठित, साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 120 के साथ इस प्रार्थना के साथ कि अपीलार्थी के जी. पी. ए. धारक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी जाए; और कार्यवाही के संचालन के लिए सभी आवश्यक कार्य करने, बहस करने और करने की अनुमति दी जाए। इसी तरह उपर्युक्त दीवानी मुकदमों में से दो में आवेदन दायर किए गए थे, 1998 के ओ. एस. नंबर 104 में 2011 का आई. ए. नंबर 1307 और 1997 के ओ. एस. नंबर 388 में 2011 का आई. ए. नंबर 1306। विचारण न्यायालय ने अपने इसी तरह के दिनांक 19.02.2018 के आदेशों द्वारा,

2 ' संक्षेप में सी. पी. सी. '। 3 ' संक्षेप में 1961 का अधिनियम।

ई. डी. आवेदनों को इस प्रकार स्थानांतरित किया गया और आदेश III नियम 2 सी. पी. सी. के साथ प्रतिवादी का चुनाव लड़ने की ओर से आग्रह की गई दलीलों को व्यक्त करते हुए इस तरह की प्रार्थना को मंजूरी दी गई। 1995 के ओ. एस. सं. 368 को पारित उक्त आदेश 19.02.2018 निम्नानुसार हैः -

" 1. यह याचिका आदेश 3 नियम 2 सी. पी. सी. की धारा 151 और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 32 और ए. पी. और साक्ष्य अधिनियम संप्रदाय में सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस के नियम 32 और 33 के तहत दायर की गई है। 120 याचिकाकर्ता को उपरोक्त मुकदमे में वादी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने के लिए, माननीय न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए, अनुरोध करने के लिए अनुरोध करना।

और उपरोक्त कार्यवाहियों के संचालन में आवश्यक सभी कार्यों के लिए।

2. याचिकाकर्ता जो वादी का अधिकृत जी. पी. ए. धारक है

अदालत को पक्षकार के किसी भी गैर-अधिवक्ता को उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए एक विवेकाधीन शक्ति दी गई थी। यह आगे आयोजित किया गया था निर्णय कि, निचली अदालत ने शक्ति के लिए अनुमति दी

4. प्रत्यर्थी की आपत्ति यह थी कि आदेश 3 नियम 2 के अनुसार उपस्थिति व्यक्तिगत रूप से या मान्यता प्राप्त एजेंट द्वारा या वकील द्वारा हो सकती है, जो एक बार फिर व्यक्ति के ज्ञान के अधीन है

लेन-देन, लेकिन कभी भी पक्ष की ओर से बहस करने का अधिकार नहीं देता है निष्पादक, इस प्रकार उपरोक्त प्रावधान रामचंद्र राव v से पूछने के लिए सही नहीं हैं।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वादी की ओर से न्यायालय में अभिवचन करना। उन्होंने आगे विरोध किया कि याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता विजयवाड़ा का निवासी नहीं है, क्योंकि

ऐसे में उनके लिए याचिकाकर्ता को नोटिस देना मुश्किल होगा

मुकदमे में दायर किसी भी आवेदन के मामले में। इसलिए किया विरोध

याचिका। 5. हालाँकि इस अदालत ने याचिका और प्रतिवाद पर विचार किया

अभिकथनों का मानना है कि जब याचिकाकर्ता को इसके द्वारा अनुमति दी गई थी मुकदमे की शुरुआत में ही अदालत, जी. पी. ए. के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए, अब

उसके द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपने पति का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांगी जाती है,

मूल वादी, जो इस अदालत की राय में रक्षा कर सकता है उसके पति या पत्नी का सर्वोत्तम हित और जैसा कि उसके स्वामी द्वारा आयोजित किया गया है, उपरोक्त में

रिपोर्ट किया गया निर्णय कि, अनुमति को वापस नहीं लिया जा सकता है

याचिकाकर्ताओं का उदाहरण। अधिक तो, जब कुछ भी नहीं है

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड करें कि जी. पी. ए. धारक ने एक अस्वास्थ्यकर स्थिति पैदा की है

अनुशासनहीनता की स्थिति या शब्दों के आदान-प्रदान पर वातावरण।

6. इसलिए जब माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि, जब एक बार इस प्रकार दी गई अनुमति को वापस लिया जा सकता है, यदि जी. पी. ए. के कार्य

व्यक्तिगत रूप से पार्टी का प्रतिनिधित्व करना हित के लिए अपमानजनक है

मूल पक्षकार, याचिकाकर्ता यहाँ वादी की पत्नी होने के नाते,

इस अदालत की राय में व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जा सकती है।

अपने पति की ओर से। की अन्य आपत्ति के संबंध में

प्रत्यर्थी कि, किसी भी मामले में याचिकाकर्ता पर नोटिस की सेवा

दाखिल किए गए आवेदन, कठिन होंगे क्योंकि वह यहाँ नहीं रहती है

प्रस्तुत की गई दलीलों के समय याचिकाकर्ता के रूप में विजयवाड़ा

कि वह विजयवाड़ा में रहेगी, जब तक कि मुकदमे का निपटारा नहीं हो जाता, यह

अदालत को उसकी याचिका को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं मिलता है।

7. तदनुसार याचिका की अनुमति दी जाती है।

(जोर दिया गया)

4.4 . 19.02.2018 दिनांकित उपरोक्त आदेशों को चुनौती दी गई थी

उच्च न्यायालय में प्रत्यर्थी का परीक्षण करना। उच्च न्यायालय ने सी. आर. पी. सं. में अपने गैर-आदेश दिनांक 20.04.2018 द्वारा। 1784 , 2221 & 2366 के, ने विचारण न्यायालय के आदेशों की पुष्टि की, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कि

अपीलार्थी की पत्नी व्यक्तिगत रूप से शक्ति अभिकर्ता के रूप में उपस्थित होगी

लैंट लेकिन एक वकील के रूप में अपनी पेशेवर क्षमता में नहीं। यह आदेश

20.04.2018 उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाता है:

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आदेश III के तहत प्रथम प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 32 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 2।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री वी. एस. आर. अंजनेयुलु और श्रीमती. हेमलता सूर्यदेवरा, प्रथम प्रत्यर्थी की जनरल पावर एजेंट, जो तीनों मुकदमों में वादी थी।

3. प्रथम प्रतिवादी, जो 1995 के O.S.Nos.368,1997 के 389 (sic) और 1998 के 104 नामक तीन अलग-अलग मुकदमों में वादी था, प्राचार्य है और उसकी पत्नी श्रीमती। सूर्यदेवर हेमलता, उनकी शक्ति प्रतिनिधि हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम प्रतिवादी और वादी का प्रतिनिधित्व नीचे दिए गए न्यायालय के समक्ष वकील द्वारा किया गया था। इनमें से एक सूट का निपटारा पहले ही हो चुका है। अन्य दो मुकदमे अब लंबित हैं। यहां तक कि निपटाए गए मुकदमे में भी कुछ आवेदन दायर किए गए हैं।

5. इन संशोधनों में आक्षेपित आदेशों पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील की आपत्तियां दो गुना हैं, अर्थात् (i) प्रथम प्रतिवादी की पत्नी-सह-सामान्य शक्ति एजेंट। वह एक वकील भी होती है, लेकिन वह या तो एक वकील के रूप में या एक शक्ति एजेंट के रूप में पेश हो सकती है न कि दोनों के रूप में और (ii) सेवा के लिए पता विजयवाड़ा में पहले प्रतिवादी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं को नोटिस और समन देने में सक्षम बनाना।

6. प्रथम प्रत्यर्थी के शक्ति प्रतिनिधि, जो मेरे सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए, ने कहा कि वह एक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नहीं होना चाहती हैं।

प्रथम प्रत्यर्थी के लिए अधिवक्ता लेकिन वह केवल प्रथम प्रत्यर्थी के शक्ति एजेंट के रूप में उपस्थित होने की मांग कर रही है। नहीं हो सकता है। पावर एजेंट के माध्यम से पेश होने के लिए एक कार्यवाही के लिए एक पक्ष को आपत्ति। सी. पी. सी. के आदेश III नियम 2 में उसी के लिए और उस रामचंद्र राव v के लिए प्रावधान है।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आवेदनों को अनुमति देने वाले विचारण न्यायालय के आदेश की सीमा

गलती पाई जाए। आदेश III नियम 2 के तहत एक बार आवेदन

सी. पी. सी. की अनुमति है, बिजली एजेंट के पास दो विकल्प हैं, पहला विकल्प है

व्यक्तिगत रूप से एक बिजली एजेंट के रूप में दिखाई देता है और दूसरा विकल्प है

स्वयं एक वकील को नियुक्त करें। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता।

आदेश और वह विद्वान वकील की आपत्ति है

याचिकाकर्ता। यह आपत्ति कानून में स्थायी है।

8. लेकिन जहाँ तक दूसरी आपत्ति का संबंध है, यदि

1 प्रथम प्रतिवादी केवल एक पक्ष के एक शक्ति एजेंट के रूप में दिखाई दे रहा है,

सेवा के लिए स्थानीय पते को सूचित करने का सवाल ही नहीं उठता है।

यह केवल तभी होता है जब एक वकील नियुक्त किया जाता है, एक प्रस्तुत करने का सवाल

सेवा के लिए स्थानीय पता उत्पन्न होगा।

इसलिए, सभी नागरिक संशोधन याचिकाओं का निपटारा किया जाता है।

प्रथम प्रत्यर्थी की और वह अपने पेशेवर रूप में उपस्थित नहीं होगी एक वकील के रूप में क्षमता।

इसकी अगली कड़ी के रूप में, विविध याचिकाएं, यदि कोई हों, लंबित हैं।

बंद रहेगा। "

(जोर दिया गया)

4.5 . इसके बाद, के संबंध में समान प्रकृति का एक और अनुप्रयोग

1998 के सं. 445 पर विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया गया और इसकी अनुमति दी गई

दिनांकित 24.09.2018, इसी तरह की आपत्ति को अस्वीकार करते हुए

और नीचे के रूप में निरीक्षण करते हुए: -

" प्रत्यर्थी ने यह कहते हुए याचिका का विरोध किया कि,

आदेश 3 नियम 2 सी. पी. सी. उपस्थिति शायद व्यक्तिगत रूप से या मान्यता प्राप्त द्वारा

एजेंट या एक वकील द्वारा, जो एक बार फिर व्यक्तिगत के अधीन है

लेन-देन का ज्ञान और यह कभी भी बहस करने का अधिकार नहीं देता है निष्पादकों की ओर से, ऐसे प्रावधान जिनके तहत यह

याचिका दायर करना प्रतिनिधित्व करने की अनुमति लेने के लिए सही नहीं है और वाद में वादी की ओर से अभिवचन करें।

हालाँकि, यह अदालत याचिका और प्रतिवाद पर विचार कर रही है

अनुमानों का मानना है कि, जब जी. पी. ए. के पक्ष में निष्पादित किया जाता है

याचिकाकर्ता उसे मुकदमे में वादी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत करती है, और वह जी. पी. ए. के रूप में भी वादी की ओर से याचिका दायर करने का इरादा रखती है

सूट क्योंकि वह अपने पति के सर्वोत्तम हित की रक्षा कर सकती है, और जब [2022] 17 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिवक्ता अधिनियम के Sec.32 के अनुसार कोई भी अदालत या प्राधिकरण या व्यक्ति अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित किसी भी व्यक्ति को अनुमति दे सकता है

इसके समक्ष उपस्थित होना, किसी विशेष मामले में, याचिकाकर्ता

व्यक्तिगत रूप से और अपने पति की ओर से मुकदमा चलाते हुए ऐसा प्रतीत होता है उचित है।

इसके अलावा, जब दी गई अनुमति को वापस लिया जा सकता है

न्यायालय द्वारा, यदि पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले जी. पी. ए. के कार्य, व्यक्तिगत रूप से

मूल पक्ष के हित के लिए अपमानजनक। इसलिए, याचिकाकर्ता

मुक़दमे में वादी की पत्नी होने के नाते प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांग रही है अपने पति की ओर से व्यक्तिगत रूप से न्याय और आवश्यक लगता है।

इसलिए, ऊपर बताए गए कारणों से, मैं अनुमति देने के लिए इच्छुक हूं

आवेदन। तदनुसार, याचिका को अनुमति दी गई।

(जोर दिया गया)

4.6 . उपरोक्त आदेश दिनांक 24.09.2018 को चुनौती दी गई थी

2018 के सी. आर. पी. सं. 6924 में उच्च न्यायालय में स्टिंग प्रतिवादी। यह उच्च न्यायालय द्वारा भी अपने दिनांकित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। 2018 , जिसे उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः -

1 उत्तरदाता का प्रतिनिधित्व उसकी पत्नी द्वारा सामान्य शक्ति के रूप में किया जाना है अधिवक्ता धारक का, कार्य करने के लिए, उपस्थित होने के लिए और वाद करने के लिए, प्रतिवादी में

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री वी. एस. आर. अंजनेयुलु को सुना। प्रथम प्रत्यर्थी का जी. पी. ए. धारक नोटिस लेता है।

3. इसमें प्रथम प्रतिवादी ने O.S.No.445 में मुकदमा दायर किया है।

1998 विभाजन के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि पहला प्रतिवादी एक सेवानिवृत्त व्यक्ति है।

आई. ए. एस. अधिकारी और उनकी पत्नी जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हैं

धारक आंध्र की बार काउंसिल में नामांकित एक अधिवक्ता है

प्रदेश। 4. इसलिए, प्रथम उत्तरदाता ने अपनी पत्नी को नियुक्त किया है

जनरल पावर एजेंट। यह तथ्य विवादित नहीं है।

5. जब जी. पी. ए. धारक द्वारा दोहरी कार्रवाई करने का प्रयास किया गया था

एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एक अधिवक्ता दोनों के रूप में क्षमता

अपने पति के लिए, इस अदालत ने निर्देश दिया कि वह केवल एक का विकल्प चुन सकती है।

रामचंद्र राव बनाम। एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

6. इसलिए, प्रथम प्रत्यर्थी ने 2018 का I.A.No.556 दायर किया

जी. पी. ए. धारक को अपनी दलील देने, पेश करने और बहस करने की अनुमति व्यक्तिगत रूप से मामला। इस आवेदन को निचली अदालत ने मंजूरी दे दी है।

24-09-2018 दिनांकित आदेश द्वारा। यह उक्त आदेश के विरुद्ध है कि पुनरीक्षण दाखिल किया गया है।

7. श्री वी. एस. आर. अंजनेयुलु का तर्क, विद्वान वकील

याचिकाकर्ता वह जी. पी. ए. धारक है जिसका व्यक्तिगत हित है,

पार्टी की ओर से गुहार नहीं लगा सकते। रिलायंस को रखा गया है

जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के विलेख में निहित खंड। 8. लेकिन जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के विलेख के खंड 2 और 3

जी. पी. ए. धारक को पत्र पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, लिखित

बयान, शपथ पत्र आदि, और सभी न्यायालयों में भी उपस्थित होना।

इसलिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी निश्चित रूप से अधिकृत करता है प्रथम प्रतिवादी की ओर से अभिवचन करने के लिए धारक।

9. सिर्फ इसलिए कि पत्नी एक वकील है, कोई नहीं है

उसके लिए अपने पति के मामले की पैरवी करने के लिए कानून में निषेध

एक सामान्य शक्ति धारण करना। एक वकील के लिए दोहरी भूमिका निभाने का प्रतिबंध,

हितों के टकराव के संदर्भ में है, जो नैतिक से संबंधित है पेशे के संबंध में सिद्धांत। लेकिन जब एक वकील का जीवनसाथी

मुकदमेबाजी में शामिल है, वकील के लिए कार्रवाई करने के लिए कोई रोक नहीं हो सकती है

पति या पत्नी के शक्ति प्रतिनिधि के रूप में, जो कुछ भी अधिकृत है उसे करने के लिए

जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के विलेख द्वारा करना।

10. इसके अलावा, मुझे नहीं पता कि याचिकाकर्ता किस तरह से व्यथित है

इस तरह के एक कार्य से। यदि कुछ चीजें केवल भीतर हैं प्रधानाचार्य का अनन्य ज्ञान जो निश्चित रूप से उठाया जा सकता है

एक बिंदु के रूप में। इसलिए, मुझे संशोधन में कोई गुण नहीं मिलता है। इसलिए,

सिविल संशोधन याचिका खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

इसकी अगली कड़ी के रूप में, विविध याचिकाएं, यदि कोई हों, लंबित हैं।

बंद रहेगा। "

(जोर दिया गया)

4.7 . दूसरी ओर, जब उक्त कार्यवाही की जानी थी

इसके अलावा, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी ने अलग-अलग आवेदन दायर किए,

मेरा तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी, जो प्रतिनिधित्व कर रही थी एस जी. पी. ए. धारक, गवाहों से पूछताछ करने का हकदार नहीं था। द ट्रायल

टी, एक बार फिर, प्रतियोगी प्रत्यर्थी की आपत्ति को पैराटे द्वारा खारिज कर दिया, लेकिन काफी हद तक समान आदेश दिनांक 07.02.2019।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1995 के ओ. एस. सं. 368 के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिखा गया है -

: :

" 1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा Sec.151 सी. पी. सी. के तहत दायर की गई है, जिसमें अदालत से वादी की पत्नी को रोकने की मांग की गई है, जो व्यक्तिगत रूप से वादी का प्रतिनिधित्व कर रही है, क्योंकि उसका जी. पी. ए. जांच करने से रोकता है।

गवाहों को। 2. याचिकाकर्ता का कहना है कि मुकदमे में पहले वादी का प्रतिनिधित्व उसकी पत्नी द्वारा 1998 से जी. पी. ए. धारक के रूप में किया जा रहा है, और उक्त तिथि पर मुकदमे का प्रतिनिधित्व अलग-अलग वकीलों द्वारा किया जा रहा था। वादी के जी. पी. ए. के रूप में रिकॉर्ड पर आने वाले पहले प्रतिवादी ने आदेश 3 नियम 2 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन दायर किया जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहले वादी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति मांगी गई थी और उक्त आवेदन की अनुमति दी गई थी, जिसके खिलाफ इस याचिकाकर्ता ने सी. आर. पी. 1784/2018 को प्राथमिकता दी, जिसे 20-4-2018 पर निपटाया गया था, जिसमें जी. पी. ए. धारक को निर्देश दिया गया था कि वह एक वकील की क्षमता में मुकदमा कार्यवाही का संचालन न करे क्योंकि वह बार में नामांकित है, और जी. पी. ए. के रूप में। याचिकाकर्ता का कहना है कि जब प्रथम प्रतिवादी ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसके नाम का जी. पी. ए. रद्द कर दिया गया था, और वह वादी की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए अधिकृत थी, तो

3. प्रथम प्रतिवादी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वह अपने पति/वादी के जी. पी. ए. के रूप में व्यक्तिगत रूप से पेश हो रही है। इस न्यायालय से अनुमति, और यद्यपि वह बार काउंसिल में नामांकित है, वह अपनी पेशेवर क्षमता में उपस्थित नहीं हो रही है, इस मामले में और इस प्रकार वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रही है, इस प्रकार, वह गवाहों से जिरह करने की हकदार है और याचिकाकर्ता निर्देश नहीं दे सकता है

वादी, कि उसे मामले का संचालन कैसे करना है, अर्थात या तो एक वकील के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से। सी. आर. पी. No.1784/2018 में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि जी. पी. ए. धारक प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है अदालत ने जी. पी. ए. और अपनी पेशेवर क्षमता दोनों के रूप में, लेकिन यह नहीं कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत क्षमता में मुकदमे की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकती है। इसलिए, वह अपने पति की जी. पी. ए. है

व्यक्तिगत रूप से सूट करने में सक्षम जिसमें क्रॉस शामिल है

गवाहों की जाँच।

रामचंद्र राव बनाम। एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

4. दोनों पक्षों को सुना। 5. दोनों पक्षों ने कोई मौखिक या वृत्तचित्र प्रस्तुत नहीं किया

सबूत। " क्या प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के अनुरोध के अनुसार गवाहों की परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है?

बिन्दुः

6. याचिकाकर्ता की पहली प्रतिवादी को पार करने के लिए आपत्ति

स्वयं गवाहों की जाँच करना यह है कि, वह वादी की जी. पी. ए होने के नाते केवल एक वकील को नियुक्त कर सकती है, लेकिन मुकदमे में भाग नहीं ले सकती है और गवाहों की जांच नहीं कर सकती है या मामले पर बहस नहीं कर सकती है। हालांकि वह मुक़दमे की कार्यवाही का व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी, यह उसे ऐसा कोई कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, जो एक कानूनी व्यवसायी करेगा। लेकिन, प्रत्यर्थी का कहना है कि जब उसे इस न्यायालय द्वारा अपने पति-प्रथम वादी के जी. पी. ए. के रूप में व्यक्तिगत रूप से मुकदमे की कार्यवाही करने की अनुमति दी गई थी, तो यह उसे तय करना है कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से मुकदमे को जारी रखेगी या मुकदमे की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी वकील को नियुक्त करेगी और इस याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी को यह निर्देश देने का कोई काम नहीं है कि वह मुकदमे की कार्यवाही के संचालन में किस पाठ्यक्रम को अपनाए।

7. अपनी दलीलों के समर्थन में प्रथम प्रतिवादी ने निम्नलिखित दो निर्णयों पर भरोसा किया है 1) सुरेंद्र राज जायसवाल और अन्य

बनाम विजया जैसवाल, ए. आई. आर. 2003 ए. पी. 317; 2) प्रभा P.Shenai बनाम इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2016 लॉ सूट (बॉम्बे) 271। पैराग्राफ No.13 में ऊपर निर्दिष्ट (1) उक्त निर्णय में उनके लॉर्डशिप ने राय दी कि

मुझे याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्यर्थी पर व्यक्तिगत रूप से मुकदमा चलाने या अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए जोर देने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिखाई देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिवादी को विशेष मामले पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, लेकिन अपने पति के साथ अपने संबंधों और मामले के परिचित होने के कारण,

उसने अपने पति पर पूरा भरोसा किया और उसे किसी विशेष मामले में अपनी ओर से पेश होने के लिए अपने पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में नियुक्त किया और इसलिए, यहां याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन को नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा सही ढंग से खारिज कर दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के पावर ऑफ अटॉर्नी धारक को अनुमति दी और उक्त पावर ऑफ अटॉर्नी प्रतिवादी और [2022] 17 एस. सी. आर. की ओर से पेश होकर अदालत की मदद कर रहा है।

न्यायालय द्वारा नीचे कोई टिप्पणी नहीं की गई है। यदि पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अयोग्य या निंदनीय है तो अदालत के लिए अनुमति वापस लेने या रद्द करने के लिए हमेशा खुला रहता है।

8. यह न्यायालय दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत दलीलों और उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णयों में रखे गए सिद्धांत पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त करता है कि जब एक बार प्रत्यर्थी को पहले पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी वादी जो अपने पति के अलावा और कोई नहीं है, व्यक्तिगत रूप से यह मत व्यक्त करते हुए कि कोई भी व्यक्ति पति/पत्नी के हित की रक्षा नहीं कर सकता है, और पत्नी/पति के अलावा पति/पत्नी के सर्वोत्तम हित में कार्य कर सकता है, स्वयं/स्वयं, प्रत्यर्थी को अनुमति दी, जो पहली वादी की पत्नी है, और जी. पी. ए. को भी व्यक्तिगत रूप से मुकदमे की कार्यवाही का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी और

क्योंकि उसे अनुमति दी गई थी और वह व्यक्तिगत रूप से मुकदमे का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अब वह स्वयं गवाहों से भी जिरह करना चाहती है, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा सही कहा गया है कि लोकस स्टैंड क्या करता है

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी पर आपत्ति जताते हुए, वादी और उसके पति की ओर से गवाहों से जिरह की है? जब किसी पक्ष के लिए गवाहों से जिरह करने पर कोई रोक नहीं है, तो प्रतिवादी जो जी. पी. ए. के रूप में वादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है और गवाहों से जिरह करने के इरादे से व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देता है

उपरोक्त संदर्भित मामले में, जी. पी. ए. धारक और वादी हैं पति और पत्नी, इस तरह से इस अदालत का मानना है कि, जब तक कि अदालत अनुमति वापस लेने या रद्द करने का विचार नहीं करती है, यदि

वकील धारक को अयोग्य पाया जाता है और प्रतिवादी के लिए व्यक्तिगत रूप से वादी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखने में कोई बाधा नहीं हो सकती है।

9. जैसा कि संदर्भ संख्या 2 में निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि

वर्तमान मामले में, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान मामले में गठित वकील केवल उसका पति नहीं है वादी लेकिन उसके पूर्ववर्ती, जिन्होंने वास्तव में विचाराधीन कार्य को पूरा किया और जिन्हें वादी को अपना हक सौंपने से पहले मुकदमे में दावा की गई राशि देय थी, उन्हें वादी का प्रतिनिधित्व करने और इस मुकदमे में उसके मामले पर बहस करने की अनुमति देने के लिए एक प्रमुख मामला है। मैंने उसके अनुसार, उसे वादी की ओर से बहस करने की अनुमति दी है।

10. उक्त सिद्धांत वर्तमान मामले के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि इस वाद में भी प्रथम प्रतिवादी को प्रथम वादी रामचंद्र राव बनाम का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी।

एस. नागभूषण राव और

ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

व्यक्तिगत रूप से, इसलिए वह पहली वादी का बहुत अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व कर सकती है और

इस मामले में बहस करें, और याचिकाकर्ता कोई मुद्दा नहीं उठा सकता है

प्रत्यर्थी की पात्रता के संबंध में आपत्ति, जो व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करने की अनुमति थी; बार के संबंध में

सी. आर. पी. 1784/18 में अपने प्रभुत्व द्वारा स्थापित कि, प्रतिवादी

जी. पी. ए. धारक होने के नाते वह अपने पेशेवर में मामले का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती है। क्षमता, जब निश्चित रूप से प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है

एक अधिवक्ता के रूप में न्यायालय, और वह न्यायालय का प्रतिनिधित्व कर रही है,

गवाहों से जिरह करने से रोक दिया जाए। तदनुसार, इस बिंदु का जवाब याचिकाकर्ता के खिलाफ दिया गया है।

11. नतीजतन, याचिका खारिज कर दी जाती है। ”

(जोर दिया गया)

4.8 . उपरोक्त दिनांकित 07.02.2019 आदेशों को पहले चुनौती दी गई थी।

सिविल संशोधन याचिका सं. में उच्च न्यायालय। 758 , 759 , 760 और 761 का

जिन पर विवादित आम लोगों द्वारा विचार और निर्णय लिया गया है

दिनांकित 28.06.2019।

4.8. 1 . दिनांक 28.06.2019 के विवादित आदेश में, उच्च न्यायालय ने,

संबंधित पक्षों के पृष्ठभूमि पहलुओं और रुख पर ध्यान देना

ईएस, निम्नलिखित शब्दों में निर्धारण के लिए बिंदु कहा गया हैः -

वादी के जी. पी. ए. धारक को वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। और गवाहों से जिरह करें?

4.8. 2 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने पिछले पर ध्यान दिया

इन मामलों में कैशन स्थानांतरित किए गए और आदेश पारित किए गए,

इस तरह के पिछले आदेशों के निर्माण को बताते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ,

पंखों की शर्तेः -

" 12. उक्त आदेश दिसंबर के महीने में पारित किया गया था।

2018. जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस आदेश से पहले, एक सामान्य आदेश था C.R.P.Nos
में पारित किया गया। 1784 , 2221 और 2018 का 2366, जिसमें,

सी. पी. सी. के आदेश III नियम 2 के तहत दायर आवेदन, के साथ पढ़ें

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 का यह स्पष्ट करते हुए निपटारा किया गया कि

श्रीमती. S.Hemalatha व्यक्ति में एजेंट की शक्ति के रूप में दिखाई देगा

पहला उत्तरदाता और अपनी पेशेवर क्षमता में उपस्थित नहीं होगा।

उक्त आवेदन [2022] 17 एस. सी. आर. के आदेश III नियम 2 के तहत दायर किए गए थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सी. पी. सी., निम्नलिखित राहत के लिए, अपने पति का प्रतिनिधित्व करने के लिए; प्रकट होने के लिए

उपरोक्त कार्यवाहियों का अभिवचन करने और संचालन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से।

13. उक्त आवेदनों को निम्न न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई थी, जिससे पहले प्रतिवादी को उपरोक्त तीन संशोधनों के साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वकील की आपत्तियां,

दो गुना थे, अर्थात् (i) प्रथम प्रत्यर्थी की पत्नी-सह-सामान्य शक्ति अभिकर्ता भी एक वकील होती है, लेकिन वह या तो एक वकील के रूप में या एक शक्ति अभिकर्ता के रूप में पेश हो सकती है न कि दोनों के रूप में और (ii)

कि सेवा के लिए पते को विजयवाड़ा में पहले प्रतिवादी द्वारा सूचित किया जाना चाहिए ताकि याचिकाकर्ता नोटिस देने में सक्षम हो सकें

और समन। माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि एक बार

आदेश III नियम 2 सी. पी. सी. के तहत आवेदन की अनुमति है, बिजली एजेंट के पास दो विकल्प हैं; पहला विकल्प बिजली एजेंट के रूप में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना है और दूसरा विकल्प खुद एक वकील के रूप में कार्य करना है।

दोनों को एक ही क्रम में जोड़ा नहीं जा सकता है।

4.8. 3 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने उन कारणों पर ध्यान दिया जो दिनांकित विवादित आदेश पारित करने में निचली अदालत के साथ प्रचलित थे

07.02.2019 , और मदुपु हरिनारायण @हरिबाबू प्रतिनिधि के मामले में अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय के संदर्भ में पुनरीक्षण याचिकाओं को अनुमति देने के लिए आगे बढ़े। उनके जी. पी. ए., टी. डी. दयाल बनाम। 1 सेंट अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, कडप्पा और अन्य। : 2011

(2) ए. एल. टी. 405 (डी. बी.) और 1961 के अधिनियम की धारा 32। उच्च न्यायालय ने जी. पी. ए. धारक के रूप में कार्यवाही में अपीलार्थी की पत्नी की भागीदारी के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए, जबकि उसे एक अधिवक्ता के रूप में मामले का संचालन करने की स्वतंत्रता दी और निम्नानुसार टिप्पणी कीः -

" 16. ऊपर निर्दिष्ट निर्णय में माननीय खंड पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कुछ कानूनी निवारण की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है, और बिना किसी अपवाद के, उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए प्रक्रियात्मक नियमों और विनियमों का ईमानदारी से पालन करना पड़ता है। उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम, सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड सर्कुलर ऑर्डर और क्रिमिनल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस एंड सर्कुलर ऑर्डर के साथ-साथ विभिन्न अन्य प्रक्रियात्मक नियम जिनके तहत बनाए गए हैं।

विभिन्न क़ानून दोनों संहिताओं को प्रतिस्थापित करते हैं। कार्यवाही में एक पक्ष या तो स्वयं अपनी शिकायत व्यक्त करने के लिए एक पक्ष के रूप में पेश हो सकता है या बार की सूची में नामांकित एक वकील को नियुक्त कर सकता है।

आंध्र प्रदेश परिषद (एक वैधानिक पेशेवर निकाय)

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत गठित)। पार्टी के लिए

कार्यवाही एक पावर ऑफ अटॉर्नी रामचंद्र राव v देकर दूसरे को अधिकृत कर सकती है।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

मामले में पेश होना, शपथ पत्र दाखिल करना, वकीलों को निर्देश देना और उनकी ओर से कार्य करना। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जी. पी. ए. धारक अपने प्रधान के लिए अभिवचन और/या बहस नहीं कर सकता है। यदि अधिवक्ता के अलावा कोई अन्य व्यक्ति नामांकित है बार काउंसिल की सूची पर, अदालत में दिखाई देता है, यह कानून के तहत दंडनीय अपराध है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट "पावर ऑफ अटॉर्नी" को किसी भी साधन को शामिल करने के लिए परिभाषित करता है जो किसी निर्दिष्ट व्यक्ति को इसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति के लिए और उसके नाम पर कार्य करने के लिए सशक्त बनाता है। अगर ऐसा है।

सशक्त, दाता किसी भी उपकरण को निष्पादित कर सकता है या शक्ति दाता के अधिकार द्वारा अपने नाम और हस्ताक्षर में कुछ भी कर सकता है। पी. ओ. ए. अधिनियम की धारा 4 पी. ओ. ए. पर शपथ पत्र को सत्यापित करने, पी. ओ. ए. की घोषणा या अन्य पर्याप्त प्रमाण देने और उसे उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय में जमा करने का दायित्व डालती है, जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर -

उपकरण हो सकता है। आदेश III सी. पी. सी. मान्यता प्राप्त अभिकर्ताओं और अधिवक्ताओं से संबंधित है। इसका नियम 1 मान्यता प्राप्त अभिकर्ता को किसी भी न्यायालय में उपस्थित होने, आवेदन करने या कार्य करने में सक्षम बनाता है। नियम 2 मान्यता प्राप्त एजेंटों को "पार्टियों के एजेंटों के रूप में समझाता है जिनके द्वारा इस तरह की उपस्थिति, आवेदन और कार्य किए जा सकते हैं या किए जा सकते हैं"। ये पी. ओ. ए. रखने वाले व्यक्ति हैं जो उन्हें एक बनाने के लिए अधिकृत करते हैं

ऐसे पक्षों की ओर से आवेदन करें और कार्य करें। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2 (ए) "अधिवक्ता" को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी रोल में दर्ज किया गया अधिवक्ता। सी. पी. सी. की धारा 2 (15) "प्लीडर" को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है उपस्थित होने का हकदार कोई भी व्यक्ति।

और अदालत में दूसरे के लिए गुहार लगाते हैं।

***

***

***

ऐसे अधिवक्ता को पक्ष या उसके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि की ओर से श्रोता का अधिकार हो सकता है, जिसने अधिवक्ता को नियुक्त किया हो। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 अधिवक्ता को किसी भी प्रकार की अनुमति देने का अधिकार देती है। किसी विशेष मामले में उपस्थित होने के लिए गैर-अधिवक्ता। इसका मतलब है कि कोई भी [2022] 17 एस. सी. आर.

यदि व्यक्ति अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित अधिवक्ता नहीं है तो उसे मामले में बहस करने के लिए न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

19. उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 अदालत को किसी भी गैर-अधिवक्ता को अनुमति देने का अधिकार देती है।

यदि अधिवक्ता नहीं है तो किसी मामले में बहस करने के लिए न्यायालय से पूर्व अनुमति लेने के बाद किसी विशेष मामले में उपस्थित होने के लिए अधिवक्ता। अधिनियम की धारा 32 को निकालना उचित होगा जो निम्नानुसार हैः

" 32. विशेष रूप से उपस्थिति की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति मामले। - इस अध्याय में कुछ भी निहित होने के बावजूद, कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है, उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है या

उसे किसी भी विशेष मामले में "।

20. प्रथम दृष्टया, डिवीजन बेंच द्वारा निर्धारित कानून की तुलना में उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि यह केवल

अधिवक्ता, जिन्होंने अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत नामांकन किया है, उन्हें किसी भी अदालत में वकालत करने का अधिकार है। इसका कोई भी उल्लंघन साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के तहत अपराध करने के बराबर होगा। 21. तत्काल मामले में, वादी की पत्नी, जो अपने पति का प्रतिनिधित्व कर रही है, गवाह से जी. पी. ए. धारक के रूप में पूछताछ करने का इरादा रखती है। वह वादी के वकील के रूप में मामले पर बहस नहीं कर रही है और न ही वह पहले वादी के वकील के रूप में गवाह से जिरह कर रही है, हालांकि वह उक्त अदालत में वकालत करने वाली वकील है।

22. हालाँकि 2018 के C.R.P.No.6924 में निर्णय के बीच समान पक्षों ने माना कि याचिकाकर्ता के लिए मुकदमे में भाग लेने के लिए कोई रोक नहीं है, लेकिन इस अदालत के खंड पीठ के फैसले में निषेध किया गया है

जी. पी. ए. धारक की भागीदारी। यह बात विद्वान न्यायाधीश के ध्यान में नहीं लाई गई थी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस न्यायालय की खंड पीठ ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि जी. पी. ए. धारक अपने प्रधान के लिए अभिवचन और/या बहस नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति,

बार काउंसिल की सूची में नामांकित अधिवक्ता के अलावा, अदालत में पेश होना कानून के तहत दंडनीय अपराध है। 23. यह सच हो सकता है कि इसमें प्रतिवादी, जो एक अधिवक्ता भी है, अपने पति का मामला जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के रूप में कर रही है। यह भी सच हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो सकता है

याचिकाकर्ताओं के लिए बहुत पूर्वाग्रह पैदा करता है। लेकिन, फैसले को ध्यान में रखते हुए एस. रामचंद्र राव बनाम।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

संयुक्त उच्च न्यायालय की खंड पीठ, C.R.Ps हैं।

तथापि, प्रत्यर्थी को आचरण करने की स्वतंत्रता देने की अनुमति

एक अधिवक्ता के रूप में मामला क्योंकि वह एक अभ्यास करने वाली अधिवक्ता भी है।

24. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा। विविध याचिकाएँ

इन संशोधनों में से कोई भी लंबित होने पर बंद हो जाएगा।

(जोर दिया गया)

5. इनमें हमारे सामने लंबे समय से तर्क दिए गए हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश के खिलाफ अपील की गई। इसमें है।

अपीलार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने पूरी तरह से

स्वयं को गलत तरीके से निर्देशित किया और इस बात पर विचार करने में विफल रहा कि प्रश्न में मुद्दा

अपीलार्थी की पत्नी की उसके जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थिति से संबंधित

इन कार्यवाहियों में पिछले आदेशों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया था

उच्च न्यायालय दिनांकित 20.04.2018 और 14.12.2018; और ऐसा मुद्दा

रेस के सिद्धांत के संचालन के लिए बिल्कुल भी फिर से नहीं खोला जा सकता था

न्यायपालिका। प्रस्तुतियों के दूसरे अंग में, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी की पत्नी को आचरण करने का अधिकार है

उसके जी. पी. ए. धारक के रूप में कानूनी कार्यवाही; और इसके तहत कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है।

कोई भी कानून जो अपीलार्थी की पत्नी को उसके जी. पी. ए. के रूप में कार्य करने से रोकता है।

धारक केवल एक नामांकित अधिवक्ता होने के कारण। दूसरी ओर, यह

प्रतियोगी प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिया गया है कि

की पत्नी को अनुमति देने वाले पक्षों के बीच पिछले आदेश

1961 के अधिनियम की धारा 32 में वैधानिक निर्देशों की अज्ञानता में पारित किए जाने के कारण, मामलों का संचालन करने के लिए अपीलकर्ता न्यायिक निर्णय के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। दूसरे खंड में, यह किया गया है

प्रतियोगी प्रत्यर्थी की ओर से तर्क दिया कि एक अधिकारी के रूप में अदालत, एक वकील एक दायर किए बिना अभिवचन या प्रतिपरीक्षा नहीं कर सकता है

वकालतनामा और इस न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय का भी न्यायशास्त्र

अदालतें एक वकील को पावर ऑफ अटॉर्नी के रूप में पेश होने की अनुमति नहीं देती हैं।

अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में पक्षकार; हम उनसे निपटेंगे भविष्य में उपयुक्त समय पर उनकी प्रासंगिकता।

6. पृष्ठभूमि के पहलुओं और प्रतिद्वंद्वी को ध्यान में रखते हुए

विवाद, हम, सबसे पहले, रेस जुडिकाटा के मुद्दे को पहले उठा सकते हैं।

इन अपीलों में उठाए गए किसी भी अन्य मुद्दे पर आगे बढ़ना।

7. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने संदर्भ के साथ तर्क दिया है

वाई. बी. पाटिल और अन्य के मामले सहित विभिन्न निर्णयों के लिए। वी. वाई. एल. पाटिलः (1976) 4 एस. सी. सी. 66, कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत [2022] 17 एस. सी. आर. है।

न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाहियों में बल्कि समान कार्यवाहियों के बाद के चरण और इसलिए, इन कार्यवाहियों में पहले पारित किए गए आदेश पक्षों के लिए बाध्यकारी हैं। विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अपीलार्थी की पत्नी द्वारा उसकी ओर से और जी. पी. ए. धारक के रूप में मामले के संचालन के संबंध में मुद्दे ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 20.04.2018 और 14.12.2018 के निष्कर्षित आदेशों के साथ इन कार्यवाही में अंतिमता प्राप्त कर ली है और इस तरह के मुद्दे को इन कार्यवाही के बाद के चरण में फिर से नहीं खोला जा सकता है। यह तर्क दिया गया है, कई के संदर्भ में

निर्णय, जिसमें गोरी गौरी नायडू (माइनर) बनाम के मामले में निर्णय शामिल हैं। थांद्रोथु बोडेम्माः (1997) 2 एस. सी. सी. 552, कि एक गलत निर्णय भी, यदि समान पक्षों के बीच दिया जाता है, तो उन्हें बाध्य करता है यदि इसका निर्णय सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा किया गया था। विद्वान।

वकील ने मखीजा निर्माण और निर्माण में निर्णय का भी उल्लेख किया है।

इंग. (पी) लिमिटेड बनाम। इंदौर विकास प्राधिकरणः (2005) 6 एस. सी. सी. 304 एक पूर्ववर्ती और रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के संचालन के बीच के अंतर के संबंध में; और एल. आर. एस. द्वारा एस. नागराज (मृत) में निर्णय के संबंध में। & ओआरएस। वी. बी. आर. वासुदेव मूर्ति और अन्य। : (2010) 3 एस. सी. सी. 353 यह प्रस्तुत करने के लिए कि उच्च न्यायालय द्वारा इस मामले में 20.04.2018 और 14.12.2018 पर पारित आदेशों को इन सिद्धांतों पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता हैः

इनक्यूरियम के अनुसार क्योंकि उन सिद्धांतों की पूर्ववर्ती के सिद्धांत के लिए प्रासंगिकता है लेकिन रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के लिए कोई अनुप्रयोग नहीं है।

8. हालाँकि, विद्वान वरिष्ठ द्वारा इसका जोरदार तर्क दिया गया है।

प्रतिवाद करने वाले प्रत्यर्थी के लिए वकील कि उक्त आदेश दिनांकित हैं 20.04.2018 और 14.12.2018 रेस जुडिकाटा के रूप में काम नहीं कर सकता क्योंकि

इसमें न्यायालय ने प्रक्रियात्मक कानून को गलत तरीके से लागू किया था और 1961 के अधिनियम की धारा 32 के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा था। इस संबंध में, मथुरा प्रसाद बाजु जयसवाल और अन्य के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। वी. दोसीबाई एन. बी. जीजीभायः (1970) 1 एस. सी. सी. 613 पर दृढ़ता से भरोसा किया गया है। यह तर्क दिया गया है कि मथुरा प्रसाद (ऊपर) के सिद्धांत दोनों पर लागू होंगे

अधिकारिता के साथ-साथ उन स्थितियों के प्रश्न जहां का निर्णय

अदालत कुछ ऐसा प्रतिबंध लगाती है जो अवैध है। विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि 1961 के अधिनियम की धारा 32 केवल गैर-अधिवक्ताओं को किसी भी पक्ष की ओर से अभिवचन करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेने का अधिकार देती है और एक वकील द्वारा समान अनुमति नहीं ली जा सकती है। तर्क यह रहा है कि उच्च न्यायालय के पिछले आदेश, 1961 के अधिनियम की धारा 32 के महत्व और प्रभाव को नजरअंदाज करते हुए, वर्तमान कार्यवाहियों में न्यायिक आधार के रूप में कार्य नहीं करते हैं। एस. रामचंद्र राव बनाम में इस न्यायालय का एक और निर्णय।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण का मामला v. नसीरुज़्ज़मान और ओआरएस। : (1996) 6 एस. सी. सी. 424, को यह तर्क देने के लिए भी उद्धृत किया गया है कि इस न्यायालय ने कानून को स्पष्ट किया है कि जहां प्रभाव देने का परिणाम होगा

न्यायपालिका वैधानिक निर्देश या निषेध के विपरीत खड़े आदेश को लागू करने की होगी, न्यायपालिका के सिद्धांत की कोई प्रयोज्यता नहीं है।

9. न्यायिक प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों को आम तौर पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 11 के प्रमुख भाग में निर्दिष्ट किया गया है।

जो नीचे लिखा है:

" 11. न्याय करें। -कोई भी न्यायालय ऐसे किसी भी वाद या मुद्दे का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया मामला उन्हीं पक्षों के बीच पूर्व वाद में या उन पक्षों के बीच, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा लड़ रहा है, प्रत्यक्ष रूप से और पर्याप्त रूप से जारी किया गया है, ऐसे बाद के मुकदमे या उस मुकदमे का परीक्षण करने के लिए सक्षम न्यायालय में जिसमें ऐसा मुद्दा बाद में उठाया गया है।

और ऐसी अदालत द्वारा सुना गया है और अंत में निर्णय लिया गया है।

9.1 . रेस जुडिकाटा का सिद्धांत, जिसका एक बहुत ही प्राचीन इतिहास है, सार्वभौमिक कानून के नियम का प्रतीक है और यह सार्वजनिक नीति का कुल योग है।

विभिन्न परिभाषाओं में परिलक्षित होता है जैसे 'रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ओसीपिटुर',

जिसका अर्थ है कि न्यायिक निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए; और

' जिसका अर्थ है कि

इस सिद्धांत और इसकी निरंतर मान्यता को अच्छी तरह से रेखांकित किया जा सकता है। के मामले में कानून के निम्नलिखित कथन के संदर्भ में

श्योपरसन सिंह और ओआरएस। वी. रामनंदन प्रसाद नारायण सिंह और अन्य। : ए. आई. आर. 1916 प्रिवी काउंसिल 78: -

" ..... लेकिन उन्हें संबोधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, उनके प्रभु इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि रेस जुडिकाटा का शासन, जबकि प्राचीन मिसाल पर आधारित है, एक ज्ञान द्वारा निर्धारित किया जाता है जो सभी के लिए है।

समय।

' यह अच्छी तरह से कहा गया है, 'लॉर्ड कोक घोषित किया गया है,' ब्याज का प्रचार खत्म नहीं किया जा सकता है, अन्यथा रंग और कानून के नाटक के तहत बड़ा उत्पीड़न किया जा सकता है '। - (6 कोक, 9 ए।)

यद्यपि संहिता के नियम का पता एक अंग्रेजी स्रोत से लगाया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से कानून की भावना के विपरीत सिद्धांत का प्रतीक नहीं है जैसा कि हिंदू टिप्पणीकारों द्वारा व्याख्या की गई है। उनमें से विज्ञानेश्वर और निलकंठ में एक पूर्व निर्णय की याचिका शामिल है।

कानून द्वारा अनुमत, प्रत्येक इस उद्देश्य के लिए कात्यायन के पाठ का हवाला देता है।

2] 17 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

जो याचिका को इस प्रकार निर्दिष्ट करता हैः " यदि कोई व्यक्ति कानूनी रूप से पराजित हो जाता है

फिर से मुकदमा करने पर उसे जवाब दिया जाना चाहिए, 'आप पहले हार गए थे।

इसे पूर्व निर्णय की याचिका कहा जाता है। [देखें "द"

मिताक्षर (व्यवहार), "ब. क.। II, च। आई, जे. आर. घरपुरे द्वारा संपादित,

पी। 14 , और "द मायुका", च। आई, सेक। 1 , पी। 11 मंडलिक के संस्करण से।]

और इसलिए भारत में न्यायालयों द्वारा नियम का अनुप्रयोग होना चाहिए

रूप के कोई तकनीकी विचार से प्रभावित नहीं, लेकिन के मामले से प्रभावित

कानून द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर पदार्थ।

(जोर दिया गया)

9.2 . रेस जुडिकाटा के इस सिद्धांत और इसके अनुप्रयोग की रूपरेखा

संविधान के संदर्भ से समझ में लाया जा सकता है

दरयाओ और अन्य के मामले में इस न्यायालय का न्यायपीठ निर्णय। वी. की स्थिति यू. पी. और अन्य। : ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1457 उस मामले में, रिट याचिकाओं के बाद

अनुच्छेद 226 के तहत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर किया गया

भारत के संविधान को खारिज कर दिया गया, याचिकाकर्ताओं ने मूल याचिका दायर की

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय में याचिकाएं

उसी राहत और उसी आधार पर। ऐसी याचिकाओं में, इस न्यायालय ने बरकरार रखा

आपत्ति है कि उच्च न्यायालय का निर्णय रेस के रूप में काम करेगा

अन्य बातों के साथ-साथ न्याय का अवलोकन करते हुए, निम्नानुसारः -

" (9) लेकिन, क्या रेस जुडिकाटा का नियम केवल एक तकनीकी नियम है या यह है

उच्च सार्वजनिक नीति पर आधारित? यदि रेस जुडिकाटा का नियम अपने आप में शामिल है

जनहित कि व्यक्तियों को दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए एक ही तरह के मुकदमे के साथ। यदि ये दोनों सिद्धांत

रेस जुडिकाटा के सामान्य नियम की नींव का इलाज नहीं किया जा सकता है

मौलिक अधिकारों से निपटने में भी अप्रासंगिक या अस्वीकार्य कला के तहत दायर याचिकाओं में। 32 .

रामचंद्र राव बनाम। एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रमुख डचेस ऑफ किंग्स्टन के मामले में, 2 स्मिथ लीड कैस। 13 टी एड। पीपी। 644 , 645. सर विलियम बी. हेल ने कहा, "दीवानी मामलों में साक्ष्य के रूप में दिए जा रहे निर्णयों से संबंधित विभिन्न मामलों से। हालाँकि, ये दो कटौती आम तौर पर सच प्रतीत होती हैंः पहला, कि समवर्ती क्षेत्राधिकार के न्यायालय का निर्णय, सीधे तौर पर इस बिंदु पर, एक याचिका, एक अवरोध, या साक्ष्य के रूप में, एक ही पक्षकारों के बीच, एक ही मामले पर, सीधे तौर पर

दूसरे न्यायालय में प्रश्न; दूसरा, कि अनन्य अधिकारिता वाले न्यायालय का निर्णय, सीधे इस बिंदु पर, उसी तरीके से उसी मामले पर, उसी पक्षकारों के बीच निर्णायक है, जो संयोग से एक अलग उद्देश्य के लिए दूसरे न्यायालय में विचाराधीन है। जैसा कि हैल्सबरी द्वारा देखा गया है, "रेस का सिद्धांत"

न्यायपालिका एक तकनीकी सिद्धांत नहीं है जो केवल अभिलेखों पर लागू होता है; यह सभी न्यायालयों का एक मौलिक सिद्धांत है कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए ", हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, थर्ड एड। , खण्ड. 15 , पैराग्राफ 357, पी। 185. हैल्सबरी यह भी कहते हैं कि यह सिद्धांत सभी न्यायालयों में समान रूप से लागू होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूर्व की कार्यवाही किस न्यायालय में की गई थी, बशर्ते कि यह सक्षम अदालत हो।

अधिकारिता, या कार्यवाही किस रूप में ली गई, बशर्ते कि यह वास्तव में उसी कारण के लिए थी "(पी। 187, अनुच्छेद 362)। " रेस जुडिकाटा ", यह कॉर्पस ज्यूरिस में देखा गया है", सार्वभौमिक कानून का एक व्यापक नियम है।

न्यायशास्त्र की प्रत्येक सुव्यवस्थित प्रणाली, और दो आधारों पर रखी जाती है, जो सामान्य कानून के विभिन्न सिद्धांत में सन्निहित हैं; एक, सार्वजनिक नीति और आवश्यकता, जो इसे न्यायशास्त्र के हित में बनाती है।

राज्य कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए-ब्याज गणराज्य के अंत तक सीमित रहना; दूसरा, व्यक्ति पर कठिनाई कि उसे एक ही कारण के लिए दो बार परेशान किया जाना चाहिए-निमो डेबेट

बिस वेक्सारी प्रो एडम कौसा ", कॉर्पस ज्यूरिस, वॉल्यूम। 34 , पी। 743 ....

(11) एक ही प्रश्न पर दूसरे से विचार किया जा सकता है।

दृष्टिकोण से। यदि कोई निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा सुनाया गया है तो यह पक्षों के बीच बाध्यकारी है जब तक कि अपील, संशोधन या कानून द्वारा निर्धारित अन्य प्रक्रिया द्वारा उलट या संशोधित। इसलिए, यदि किसी पक्ष द्वारा दायर रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्णय सुनाया गया है, तो इस आधार पर एक उपयुक्त रिट जारी करने के लिए उनकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया है।

कि उसके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं था जैसा कि उसने अनुरोध किया था या अधिकार का कोई उल्लंघन साबित नहीं हुआ है या उल्लंघन [2022] 17 एस. सी. आर.

संविधान द्वारा ही उचित ठहराया गया है, यह दोनों के बीच बाध्यकारी रहना चाहिए।

पक्षकारों पर तब तक हमला किया जाता है जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर उन पर हमला नहीं किया जाता है

स्वयं संविधान द्वारा। निर्णयों का बाध्यकारी चरित्र

सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा घोषित किया जाना अपने आप में एक आवश्यक है।

कानून के शासन का हिस्सा, और कानून का शासन स्पष्ट रूप से आधार है

न्याय का प्रशासन जिस पर संविधान इतना कुछ देता है जोर देते हैं। जैसा कि हैल्सबरी ने देखा हैः अपील के अधीन और

किसी निर्णय में संशोधन किया जाना या उसे दरकिनार किया जाना इस बीच के रूप में निर्णायक है पक्षकारों और उनकी निजता, और सभी के खिलाफ निर्णायक सबूत है

इसके अस्तित्व, तिथि और कानूनी परिणामों की दुनिया '

हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, तीसरा संस्करण। , खण्ड. 22 , पी। 780 अनुच्छेद

1660 .

(जोर दिया गया)

9.3 . यह दोहराना भी उतना ही प्रासंगिक है कि धारा 11 सी. पी. सी. है

रेस जुडिकाटा के सिद्धांत की कोई नींव नहीं है लेकिन केवल है

इसकी कोरी मान्यता और इसलिए, इसकी संपूर्णता नहीं मानी जाती है

कानून के मौलिक सिद्धांत। यह मान्यता प्राप्त है कि इस सिद्धांत की कल्पना की गई है।

यह जनहित में है और समानता, न्याय और अच्छाई पर आधारित है

विज्ञान. इन पहलुओं को इस न्यायालय द्वारा चंद (मृत) के मामले में एल. आर. और अन्य द्वारा संक्षिप्त रूप से रखा गया था। वी. राधा कृष्णः (1977) 2

88 निम्नलिखित शब्दों में: -

" 19. ..... तथ्य यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11

सक्षम प्राधिकारी मुकदमा नहीं होने के कारण, विस्तार का कोई जवाब नहीं है तत्काल मामले में उस धारा के अंतर्निहित सिद्धांत का। अनुभाग

11 , यह लंबे समय से तय किया गया है, संपूर्ण नहीं है और सिद्धांत जो

यह प्रेरित करता है कि धारा को उन मामलों तक बढ़ाया जा सकता है जो नहीं आते हैं सख्ती से कानून के पत्र के भीतर। दोनों में शामिल मुद्दे

कार्यवाही समान होती है, वे मुद्दे उसी के बीच उत्पन्न होते हैं

पक्षकारों और तीसरा, अब जिस मुद्दे को उठाने की मांग की गई थी, उस पर निर्णय लिया गया था अंत में एक सक्षम अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा। रेस का सिद्धांत

न्यायपालिका की कल्पना व्यापक लोक हित में की गई है जिसकी आवश्यकता है

सिद्धांत समानता, न्याय और अच्छे विवेक पर भी आधारित है। जिसके लिए आवश्यक है कि एक पक्ष जो एक बार किसी मुद्दे पर सफल रहा हो

बहुतायत से परेशान होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए

एक ही मुद्दे के निर्धारण से जुड़ी कार्यवाही "।

(जोर दिया गया)

9.4 . इस पर शायद ही अधिक जोर देने की आवश्यकता है, लेकिन न्याय व्यवस्था के इस सिद्धांत के लिए व्यक्तियों के अधिकार इसमें उलझे रहेंगे।

अंतहीन भ्रम और कानून के शासन को बनाए रखने की नींव ही खतरे में पड़ जाएगी। भले ही इस सिद्धांत में कुछ तकनीकी पहलू हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा दरियाव (ऊपर) में समझाया गया है, यह बड़े पैमाने पर जनता के हित में है कि इस सिद्धांत के बाध्यकारी निर्णयों के साथ एक अंतिमता जुड़ी होनी चाहिए।

सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय; और यह जनहित में भी है कि व्यक्ति को एक ही प्रकार के मुकदमे से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि देखा गया है, संविधान पीठ ने इस सिद्धांत को उच्च स्तर पर रखा है, इसे कानून के शासन का एक हिस्सा माना है।

9.5 . रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के उद्देश्य और ढांचे को समझने के बाद, कुछ सहायक सिद्धांत, प्रासंगिक हैं हाथ में मामला, भी उपयोगी रूप से देखा जा सकता है।

9.5. 1 . यह सिद्धांत कि रेस जुडिकाटा का सिद्धांत न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाही में बल्कि उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होता है, शायद ही किसी संदेह या विवाद का विषय है। वाई. बी. पाटिल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के इस सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में रेखांकित किया हैः -

" 4. ..... यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि न्यायिक निर्णय के सिद्धांतों को न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाही में लागू किया जा सकता है, वे उसी कार्यवाही के बाद के चरण में भी आकर्षित होते हैं। एक बार जब किसी कार्यवाही के दौरान किया गया आदेश अंतिम हो जाता है, तो यह बाध्यकारी होगा

उस कार्यवाही का अगला चरण। "

9.5. 2 . यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है, जैसा कि कई निर्णयों में निर्धारित किया गया है, कि एक गलत निर्णय भी उसी के लिए पक्षों पर बाध्यकारी रहता है।

मुकदमेबाजी और एक ही मुद्दे से संबंधित, यदि सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय द्वारा एक ही पक्षकारों के बीच प्रस्तुत किया जाता है। गोरी गौरी नायडू (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ कहा,

" 4 ..... कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि भले ही गलत हो, एक अंतर पक्ष का निर्णय पक्ष को बाध्य करता है यदि सक्षम अधिकार क्षेत्र की अदालत ने इस पर फैसला किया है।

9.5. 3 . मखीजा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में। (पी) लिमिटेड (ऊपर), इस न्यायालय ने एक पूर्ववर्ती और संचालन के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया

निम्नलिखित शब्दों में रेस जुडिकाटा के सिद्धांत काः -

" 19 ..... एक उदाहरण एक अलग स्थिति में समान स्थितियों में बांधने के लिए काम करता है। मामला। रेस जुडिकाटा

बिना किसी अन्य कारण के कार्यवाही के लिए पक्षों को बाध्य करने के लिए काम करता है, लेकिन यह कि मुकदमेबाजी का अंत होना चाहिए। "[2022] 17 एस. सी. आर.

इनक्यूरियम क्योंकि उन सिद्धांतों की सिद्धांत के लिए प्रासंगिकता है पूर्ववर्ती लेकिन रेस जुडिकाटा के सिद्धांत के लिए कोई आवेदन नहीं है।

10. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में जिस पर ध्यान दिया गया है और चर्चा की गई है, उसके लिए यह शायद ही संदेह का विषय है कि न्यायपालिका का सिद्धांत न्यायशास्त्र की प्रत्येक अच्छी तरह से विनियमित प्रणाली के लिए मौलिक है, क्योंकि यह सार्वजनिक नीति के विचार पर आधारित है कि

निर्णय को सही के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को एक ही तरह के मुकदमे से दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। रेस जुडिकाटा का यह सिद्धांत है

न केवल अलग-अलग बाद की कार्यवाही में बल्कि

समान कार्यवाहियों का अगला चरण। इसके अलावा, एक बाध्यकारी निर्णय को हल्के में नहीं लिया जा सकता है और यहां तक कि एक गलत निर्णय भी एक ही मुकदमे के पक्षकारों पर और एक ही मुद्दे के संबंध में बाध्यकारी रहता है, अगर सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस तरह के बाध्यकारी निर्णय को प्रति इनक्यूरियम के सिद्धांत पर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि सिद्धांत पूर्ववर्ती पर लागू होता है न कि रेस जुडिकाटा के सिद्धांत पर।

10.1 . इन सिद्धांतों के सही अनुप्रयोग में, यह प्रतीत होता है कि

इन मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा 20.04.2018 पर पारित आदेश और

14.12.2018 , पत्नी की भागीदारी के मुद्दे के संबंध में

अपीलार्थी के जी. पी. ए. धारक के रूप में इन कार्यवाहियों में अपीलार्थी पक्षों के लिए बाध्यकारी रहता है और उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह मुद्दा

अपीलार्थी की पत्नी की भाग लेने की क्षमता के बारे में

उनके जी. पी. ए. धारक के रूप में इन कार्यवाही को फिर से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है

ये कार्यवाही, भले ही उन्हें ऐसी अनुमति देने वाले पहले के आदेश गलत होने का सुझाव दिए गए हों।

11. हालाँकि, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने मथुरा में निर्णयों के संदर्भ में जोरदार तर्क दिया है। प्रसाद और इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (ऊपर) ने कहा कि

हम आवश्यक विवरणों में उक्त उद्धृत मामलों की प्रासंगिक विशेषताओं की जांच कर सकते हैं। 11.1 . मथुरा प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में, अपीलार्थी ने वाणिज्यिक या आवासीय उद्देश्यों के लिए खुले स्थान पर भवनों का निर्माण किया।

प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए पट्टे के अनुसरण में भूमि। हालांकि, मानक किराए के निर्धारण के लिए सिविल न्यायाधीश के पास उनका आवेदन एस. रामचंद्र राव बनाम को खारिज कर दिया गया था।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

इस आधार पर कि बॉम्बे रेंट, होटल और लॉजिंग हाउस रेट कंट्रोल एक्ट, 1947 ऐसे भवनों के निर्माण के लिए पट्टे पर दी गई खुली भूमि पर लागू नहीं होता है। बंबई उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने पुनरीक्षण आवेदनों के एक समूह में इस आदेश की पुष्टि की। हालाँकि, विनायक गोपाल लिमये बनाम के मामले में। लक्ष्मण काशीनाथ अठावलेः आई. एल. आर. (1956) बम 827, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि एक इमारत को पट्टे पर दिया जाए।

खुले भूखंड को 1947 के उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) से बाहर नहीं रखा गया था। विनायक गोपाल लिमये में बंबई उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिया गया दृष्टिकोण

(उपर्युक्त) की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा श्रीमती डोसीबाई एन. बी. जीजीभॉय बनाम के मामले में की गई थी। हिंगू मनोहर मिसाः (1962) 3 एससीआर 928। इस निर्णय पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी ने न्यायालय में एक नई याचिका दायर की लघु कारण, मानक किराया निर्धारित करने के आदेश के लिए बॉम्बे क्योंकि यह क्षेत्र ग्रेटर बॉम्बे की सीमा के भीतर स्थित था। विचारण न्यायाधीश ने इस आवेदन को अनिवार्य रूप से इस विचार पर खारिज कर दिया कि

किराया तय करने के लिए पहले की कार्यवाही में एक ही पक्ष के बीच मामला पहले ही तय हो चुका था। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार पारित आदेश की पुष्टि की और इसलिए, मामला इस न्यायालय के समक्ष अपील में था।

11.1. 1 . उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायालय द्वारा रेज़ जुडिकाटा के सिद्धांत की विभिन्न विशेषताओं को निर्भर मार्ग में समझाया गया था। इस प्रकार हैः -

" 11. यह सच है कि न्यायपालिका के नियम के अनुप्रयोग का निर्धारण करने में न्यायालय शुद्धता से संबंधित नहीं है या

अन्यथा पूर्व निर्णय। इस मुद्दे का मामला, यदि यह विशुद्ध रूप से एक तथ्य है, तो एक सक्षम न्यायालय द्वारा पहले की कार्यवाही में निर्णय लिया गया है, उसी पक्षकारों के बीच बाद की मुकदमेबाजी में अंतिम निर्णय माना जाना चाहिए और इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। समान पक्षों के बीच पहले की कार्यवाही में निर्धारित कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न, उसी कारण से, नहीं हो सकता है उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में पूछताछ की गई। लेकिन, जहां निर्णय कानून के प्रश्न पर है, यानी किसी कानून की व्याख्या पर, यह उन्हीं पक्षों के बीच बाद की कार्यवाही में न्यायिक होगा, जहां कार्रवाई का कारण समान है, क्योंकि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में "मुद्दे में मामला" अभिव्यक्ति का अर्थ पक्षों के बीच मुकदमा करने का अधिकार है, यानी वे तथ्य जिन पर अधिकार का दावा किया जाता है या अस्वीकार किया जाता है और उस मुद्दे के निर्धारण के लिए लागू कानून। हालाँकि, जहाँ प्रश्न विशुद्ध रूप से कानून का है और यह न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या कुछ मंजूरी देने वाले न्यायालय के निर्णय से संबंधित है जो [2022] 17 एस. सी. आर. है।

अवैध, रेस जुडिकाटा के नियम का सहारा लेकर एक पक्ष द्वारा प्रभावित निर्णय की वैधता को चुनौती देने से रोका नहीं जाएगा।

न्यायिक प्रक्रिया के नियम के तहत आदेश, प्रक्रिया के नियम के लिए नहीं हो सकता है देश के कानून को हटा दें। "

(जोर दिया गया)

11.1. 2 . इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि दिए गए मामले में, पहले का निर्णय

सिविल न्यायाधीश का कि उनके पास आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था

मानक किराए के निर्धारण के लिए स्पष्ट रूप से गलत था; और यदि ऐसा

निर्णय को निर्णायक माना गया था, 'यह एक की स्थिति ग्रहण करेगा

संबंधित पक्षों पर लागू कानून का विशेष नियम

विधानमंडल द्वारा घोषित नियम के अवमूल्यन में न्यायालय की अधिकारिता। इसलिए, रेस जुडिकाटा के सिद्धांत का संचालन था

उस मामले में खारिज कर दिया।

11.2 . इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (ऊपर) के मामले में,

प्रासंगिक पहलू यह थे कि धारा 4 (1) के तहत एक अधिसूचना के बाद

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ('1894 का अधिनियम')

परिवहन नगर योजना के लिए भूमि का विस्तार, धारा के तहत जांच

1894 के अधिनियम की धारा 16 के तहत। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पारित किया एक आदेश जो घोषणा करता है कि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई है

धारा 11-ए का संचालन, जिसके लिए आवश्यक है कि अधिग्रहण के बाद, एक पुरस्कार

प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए।

घोषणा की और यदि उस अवधि के भीतर कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो पूरे

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी। एक ही सवाल था

सतेंद्र प्रसाद जैन बनाम में इस न्यायालय द्वारा जांच की गई। यू. पी. का राज्य : (1993)

4 एस. सी. सी. 369 और अवध बिहारी यादव बनाम। बिहार राज्यः (1995) 6

एस. सी. सी. 31, जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1894 के अधिनियम की धारा 11-ए धारा 17 के तहत भूमि अधिग्रहण के मामलों पर लागू नहीं होता है जहां

कब्जा पहले ही ले लिया गया था और भूमि राज्य में निहित थी।

दिए गए संदर्भ में और मामले में एक निर्णय का उल्लेख करते हुए

नगरपालिका समिति v. पंजाब राज्यः (1969) 1 एससीसी 475, यह

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः -

एक विशेष तरीके से कार्य करने और कार्य करने में विफलता का निर्देश दिया है इसके परिणामस्वरूप, सवाल यह है कि क्या पिछले एस. रामचंद्र राव बनाम।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आदेश व्यक्तियों के खिलाफ अदालत या रोक के रूप में कार्य करता है।

विवाद में। जब पिछला निर्णय गलत पाया गया था

न्यायपालिका के रूप में कार्य करें। हम आदरपूर्वक उसमें अनुपात का पालन करते हैं। इस्टोपेल या रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं होता है।

उन्हें प्रभावी बनाना किसी वैधानिक निर्देश का विरोध करना होगा।

या निषेध। एक वैधानिक निर्देश या निषेध नहीं हो सकता है पक्षों के बीच पिछले निर्णय से ओवरराइड या पराजित।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भूमि पहले से ही राज्य में निहित थी

सभी बाधाओं से मुक्त, विनिवेश का सवाल नहीं है

उठ जाते हैं। वेस्टिंग होने के बाद, के लैप्स का सवाल

धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना और धारा के तहत घोषणा

6 नहीं उठेगा। इस दृष्टिकोण से, मूल

दिशा अपने आप में गलत थी और इस संबंध में बाद की दिशा गलत थी

भूमि के कब्जे के वितरण के लिए, परिणामस्वरूप, नहीं था कानून में वैध "।

(जोर दिया गया)

11.3 . इस प्रकार, मथुरा प्रसाद (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय

यह देखा गया कि जब अधिकार क्षेत्र के प्रश्न पर पहले का निर्णय गलत था, इसे निर्णायक नहीं माना जा सकता था, अन्यथा यह मान लिया जाएगा

विधायिका द्वारा घोषित नियम के अवमूल्यन में अधिकार क्षेत्र से संबंधित पक्षों पर लागू कानून के शासन के लिए एक विशेष दर्जा। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण (उपरोक्त) में, यह न्यायालय वैधानिक निर्देश के संचालन और अधिग्रहण की समाप्ति के प्रावधानों की अप्रयोज्यता से संबंधित था, जहां कब्जा पहले से ही ले लिया गया था और भूमि राज्य में निहित थी। सीधे शब्दों में कहें तो इन मामलों में रेस जुडिकाटा के सिद्धांत को इस प्रश्न के संबंध में लागू नहीं किया गया है कि

अधिकारिता और वैधानिक निर्देश/निषेध के प्रश्न के संबंध में।

12. अतः इन अपीलों में प्रश्न यह है कि क्या

इन कार्यवाहियों के संबंध में पिछले आदेश, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा 20.04.2018 और 14.12.2018 पर समान पक्षों और व्यवहार के बीच पारित किया गया था वर्तमान मामलों में अपीलार्थी की पत्नी की क्षमता से संबंधित समान मुद्दों के साथ, निर्णायक नहीं कहा जा सकता है और अधिकार क्षेत्र या वैधानिकता के किसी भी प्रश्न के कारण न्यायपालिका के रूप में कार्य नहीं कर रहा है।

निर्देश या निषेध।

13. प्रतिवादियों की ओर से इस न्यायालय में क्या तर्क दिया गया है

यह है कि 1961 के अधिनियम की धारा 32 अधिवक्ताओं को [2022] 17 एस. सी. आर. की मांग करने से रोकती है।

न्यायालय की अनुमति और यह प्रावधान केवल गैर-अधिवक्ताओं को किसी भी पक्ष की ओर से अभिवचन करने के लिए ऐसी अनुमति लेने का अधिकार देता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के अनुसार, पिछले निर्णयों में इस प्रावधान की अनदेखी की गई है।

13.1 . 1961 के अधिनियम की धारा 32 निम्नानुसार हैः -

" 32. विशेष रूप से उपस्थिति की अनुमति देने की न्यायालय की शक्ति

मामले। इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, प्राधिकारी या व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के तहत अधिवक्ता के रूप में नामांकित नहीं है, उसके समक्ष या उसके समक्ष किसी भी मामले में उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है।

विशेष मामला "।

14. हम उस तर्क की सराहना करने में असमर्थ हैं जो सुझाव देता है

कि उक्त धारा 32 अपीलार्थी की पत्नी के लिए जी. पी. ए. धारक के रूप में अपने पति की ओर से उपस्थित होने के लिए अदालत की अनुमति लेने के लिए एक बाधा पैदा करती है क्योंकि वह एक नामांकित अधिवक्ता है। 1961 के अधिनियम की धारा 32 के सक्षम प्रावधान, जिसके तहत कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण या व्यक्ति किसी भी गैर-अधिवक्ता को किसी विशेष मामले में उसके या उसके समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दे सकता है, को किसी पक्ष के जी. पी. ए. धारक को उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति देने में एक संबंधित बाधा बनाने के रूप में पढ़ा जाना मुश्किल है, यदि उक्त जी. पी. ए. धारक, अदालत में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, एक वकील के रूप में नामांकित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसी स्थिति में कोई वैधानिक निषेध नहीं दिखाई देता है जैसे कि

वर्तमान मामला, जिसके लिए किसी पक्ष के मौजूदा जी. पी. ए. धारक को केवल जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, भले ही उसके पास हो

अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया।

14.1 . जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय के दिनांक 20.04.2018 और 14.12.2018 के पिछले निष्कर्षित आदेशों का अर्थ, उद्देश्य और प्रभाव।

यह स्पष्ट और स्पष्ट था कि इन मामलों में, अपीलार्थी की पत्नी केवल जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होने की हकदार होगी, न कि एक अधिवक्ता के रूप में। हम प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी की ओर से की गई प्रस्तुतियों को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश किसी भी वैधानिक प्रतिबंध या निषेध के साथ टकराव में हैं या वे कानून के किसी भी ऐसे अनिवार्य प्रावधान से संबंधित हैं जिसका उल्लंघन होने वाला है।

14.2 . उपरोक्त के अलावा, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि भले ही यह तर्कों के लिए माना जाए कि कोई त्रुटि हुई थी

20.04.2018 और 14.12.2018 दिनांकित पिछले आदेशों में, वे आदेश, जो समान पक्षों के बीच दिए गए थे और उसी कार्यवाही में जी. पी. ए. धारक की उपस्थिति के समान मुद्दे पर, वास्तव में न्यायिक प्रक्रिया के रूप में कार्य करते हैं।

एस. रामचंद्र राव बनाम एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

14.3 . वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में,

जहाँ एकमात्र आकस्मिक घटना अपीलार्थी की वह पत्नी थी, जो पहले से ही उसके महा-अधिवक्ता धारक के रूप में कार्य कर रही थी, बाद में

उच्च न्यायालय ने कानून में डिग्री प्राप्त की और खुद को एक वकील के रूप में नामांकित किया, उच्च न्यायालय ने कार्यवाही के पिछले दौर में, कानून की आवश्यकताओं, विशेष रूप से सी. पी. सी., राज्य में सिविल रूल्स ऑफ प्रैक्टिस और 1961 के अधिनियम की आवश्यकताओं के साथ-साथ 1961 के अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को भी सावधानीपूर्वक संतुलित किया था, जिसमें विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि अपीलार्थी की पत्नी केवल उसके जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होगी, न कि एक वकील के रूप में। दिनांकित 20.04.2018 और 14.12.2018 के उक्त आदेशों से अधिकार क्षेत्र या वैधानिक निषेध जैसा कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, जिसके लिए, इस प्रकार समाप्त किए गए मुद्दे को अलग-अलग व्याख्याओं का सुझाव देकर इन कार्यवाही के बाद के चरण में फिर से शुरू किया जा सकता है। 15. इस मोड़ पर, हम उस कारण पर भी विचार कर सकते हैं जो उच्च न्यायालय के साथ विवादित आदेश में प्रचलित है।

15.1 . जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने 20.04.2018 और 14.12.2018 दिनांकित उक्त पिछले आदेशों को रद्द करने का फैसला किया है।

मदुपु हरिनारायण (ऊपर) के मामले में उस उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले के कुछ पैराग्राफ और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि उक्त निर्णय के आधार पर, जी. पी. ए. धारक अपने पक्ष में अभिवचन या बहस नहीं कर सकता है।

प्रिंसिपल। उच्च न्यायालय ने मदुपु हरिनारायण में उक्त निर्णय के निम्नलिखित दो अंशों को पुनः प्रस्तुत किया हैः

" 28. [2022] 17 एस. सी. आर. संहिता के आदेश III के नियम 1 और 2 का अवलोकन।

सिविल प्रक्रिया, धारा 2 (ए) और अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29,30,33,34, धारा 34 नियमों और दंड प्रक्रिया संहिता के नियम 2 से पता चलेगा कि किसी कार्यवाही में सभी अभिवचन पक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उसके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि द्वारा किए जाएंगे। व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी और एक मान्यता प्राप्त एजेंट को एक लिखित नियुक्ति (वकाल्तनामा) अधिवक्ता को उपस्थित होने और मामले में बहस करने के लिए विधिवत अधिकृत करती है। केवल एक वकील ने प्रवेश किया

आंध्र प्रदेश बार काउंसिल की सूची, जिसे वकालत दी गई है और जिसे ऐसे अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया गया है, को पक्ष की ओर से या उसके मान्यता प्राप्त प्रतिनिधि की ओर से श्रोता का अधिकार हो सकता है, जिसने अधिवक्ता को नियुक्त किया है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 29 और 30 यह स्पष्ट करती है कि केवल अधिवक्ता ही हैं

5 कानून का अभ्यास करने के हकदार व्यक्तियों का मान्यता प्राप्त वर्ग, और ऐसे अधिवक्ता को अधिवक्ता अधिनियम के तहत नामांकित किया जाना चाहिए था। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 32 न्यायालय को अधिकार देती है -

किसी गैर-अधिवक्ता को किसी विशेष मामले में उपस्थित होने की अनुमति दें। इसका केवल यह अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को किसी मामले में बहस करने के लिए न्यायालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी यदि वह इसके तहत नामांकित अधिवक्ता नहीं है।

अधिवक्ता अधिनियम। इसके अलावा, अधिवक्ता अधिनियम के प्रावधानों के तहत वकालत करना गैर-अधिवक्ता के लिए एक अपराध है। धारा 45 में छह महीने के कारावास की सजा निर्धारित की गई है।

31. क़ानून और मिसालें इस मुद्दे पर स्पष्ट हैं। यह केवल अधिवक्ता हैं, जिनके नाम राज्य की सूची में दर्ज हैं।

बार काउंसिल, जिसे किसी भी न्यायालय में वकालत करने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी प्राधिकरण के बिना किसी न्यायालय में कार्य करता है, और

इस तरह के नामांकन के बिना, यह एक अपराध होगा

अधिवक्ता अधिनियम की धारा 45 के तहत दंडनीय

एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक बढ़ सकता है। इसलिए जी. पी. ए. श्री T.D.Dayal उपस्थित होने का हकदार नहीं है और

अपीलार्थी के लिए बहस करें। उन्हें इस मामले में दर्शकों का कोई अधिकार नहीं है।

या कोई अन्य मामला।

15.2 . सम्मान के साथ, हम इस मामले में उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण का समर्थन करने में असमर्थ हैं, विशेष रूप से जब इस पर निर्भरता रखी गई है।

मदुपु हरिनारायण (उपर्युक्त) के मामले में उन बुनियादी तथ्यों और पृष्ठभूमि पहलुओं पर ध्यान दिए बिना निर्णय जिसमें न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय दिया गया था। उक्त मामले के अपीलार्थी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमा दायर किया था जिसे खारिज कर दिया गया था

ट्रायल कोर्ट। निचली अदालत के आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी और फिर, अपील करने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उस समय तक, अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था -

एक विधिवत निर्देशित वकील, एक नामांकित अधिवक्ता। इसके बाद, अपीलार्थी ने इस न्यायालय में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका दायर की। यह उच्चतम न्यायालय नियम, 1966 के आदेश XVIII नियम 5 के तहत दर्ज किया गया था क्योंकि रिट याचिका की प्राप्ति को उचित ठहराते हुए कोई उचित कारण नहीं बनाया गया था। फिर, आई. ए. को पंजीयक के आदेश के खिलाफ अपील के माध्यम से दायर किया गया, जिसे भी खारिज कर दिया गया। इन मामलों में, इस न्यायालय के समक्ष, एक श्री टी. डी. दयाल ने अपने कथित जी. पी. ए. धारक के रूप में अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने न्यायालय की रजिस्ट्री को कुछ संचार भी संबोधित किए जिनका विधिवत जवाब भी दिया गया था। इसके बाद, उच्च

न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई और कथित जी. पी. ए. धारक द्वारा इसके समर्थन में एक हलफनामा दायर किया गया, जिसमें निचली अदालत के फैसले की आलोचना के अलावा, उच्च न्यायालय और इस अदालत पर निराधार और अप्रमाणित आक्षेप भी लगाए जाने की मांग की गई।

उक्त रिट एस. रामचंद्र राव बनाम। एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

याचिका को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था और फिर, मामला अपील में खंड पीठ के समक्ष था। अपील कथित जी. पी. ए. धारक द्वारा भी की गई थी। डिवीजन बेंच ने कथित जी. पी. ए. धारक के संदिग्ध लेन-देन की कई विशेषताओं पर ध्यान दिया और यह भी देखा कि जी. पी. ए. की प्रति भी रिट याचिका या रिट अपील के साथ संलग्न नहीं की गई थी। उच्च न्यायालय ने निर्णय की शुरुआत में ही निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए इसे एक मध्यस्थ द्वारा एक परेशान करने वाली मुकदमेबाजी और न्यायालय की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग पाया।

" 2. श्री टी. डी. दयाल को बहुत धैर्यपूर्वक सुनने के बाद, और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के विभिन्न प्रावधानों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों को पढ़ने के बाद, जिसमें वे स्वयं या तो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या रिट याचिकाओं में कार्यवाही के पक्षकारों के लिए एक जी. पी. ए. के रूप में सामने आए थे, हम आश्वस्त हैं कि यह एक परेशान करने वाला मुकदमा है। यह व्यस्त निकायों और हस्तक्षेप करने वाले मध्यस्थों द्वारा तुच्छ मामले दर्ज करने का एक और उदाहरण है

राज्य के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष समुदाय के प्रति कथित अन्याय के कारण, या कुछ भोली-भाली व्यक्तियों के कारण जो

वे प्रतिनिधित्व करते हैं। 99

अदालत में कार्यवाही और निराधार और अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सुओ मोटू अवमानना का मामला भी दर्ज किया गया। वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए हमें उन सभी विवरणों में जाने की आवश्यकता नहीं है; यह देखने के लिए पर्याप्त है कि उक्त निर्णय अपने विशिष्ट तथ्यों पर आगे बढ़ा और वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष उत्पन्न होने वाले बिंदु से उक्त मामले में उत्पन्न होने वाले बिंदुओं में स्पष्ट अंतर था। मदुपू में हरिनारायण (ऊपर), निर्धारण का मुद्दा यह था कि क्या एक जी. पी. ए. धारक, जिसे एक वकील के रूप में नामांकित नहीं किया गया था, को अदालत के समक्ष उपस्थित होने और वकालत करने का अधिकार था, विशेष रूप से जब वह तुच्छ मामले दायर करने और पूरी न्याय वितरण प्रणाली के खिलाफ लापरवाह टिप्पणी करने में शामिल पाया गया हो। इसके विपरीत, के लिए बिंदु

उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान मामले में यह निर्धारण किया गया था कि क्या अपीलार्थी की पत्नी, जो उसका जी. पी. ए. धारक है और कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के बावजूद उपस्थित होने की अनुमति दी गई है, गवाहों से जिरह करने की हकदार नहीं है। मदुपु हरिनारायण में उक्त निर्णय, किसी भी मामले में,

पिछले चरण में समान कार्यवाही में समान पक्षों के बीच निष्कर्षित और बाध्यकारी निर्णयों को ओवरराइड करने के लिए सेवा में दबाव नहीं डाला जा सकता था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16. ऊपर जिस पर चर्चा की गई है, हमारा विचार है कि उपरोक्त आदेश दिनांक 20.04.2018 और 14.12.2018 के रूप में कार्य करते हैं।

इन मामलों में अपीलार्थी की पत्नी की क्षमता के संबंध में इस मुद्दे को फिर से उठाने के लिए एक बार बनाएँ। उच्च न्यायालय उक्त पिछले अंतर-पक्षीय बाध्यकारी निर्णयों की अनदेखी करने में गंभीर त्रुटि में पड़ गया है।

17. ऊपर जो देखा गया है, उसकी निरंतरता में, हम यह अवलोकन करने के लिए प्रेरित हैं, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से उचित रूप से तर्क दिया गया है, कि आक्षेपित आदेश में, उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष मुद्दे को गलत तरीके से वर्णित किया है। जैसा कि देखा गया है, उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि मामले में निर्धारण का मुद्दा यह था कि क्या वादी के जी. पी. ए. धारक को एक वकील के रूप में कार्य करने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति दी जा सकती है। वादी-अपीलार्थी की ओर से यह बताया गया है कि उसके जी. पी. ए. धारक (पत्नी) ने कभी भी एक वकील की तरह काम करने और उस क्षमता में गवाहों से जिरह करने का प्रयास नहीं किया। कार्यवाही के पहले दौर में, उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से आदेश दिया था कि अपीलार्थी की पत्नी केवल अपीलार्थी के शक्ति एजेंट के रूप में कार्य करेगी

और एक वकील के रूप में अपनी पेशेवर क्षमता में नहीं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और इसके बाद प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए, अदालत के समक्ष निर्धारण का मुद्दा, संक्षेप में, यह था कि क्या अपीलार्थी की पत्नी, उसका जी. पी. ए. धारक होने के नाते, गवाहों से जिरह करने की हकदार नहीं थी, जैसा कि निचली अदालत ने अपने दिनांकित आदेश के पैराग्राफ 5 में दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादी की आपत्तियों पर भी ध्यान दिया था कि अपीलार्थी की पत्नी, जी. पी. ए. धारक होने के नाते, केवल एक वकील को नियुक्त कर सकती है, लेकिन ट्रायल कोर्ट में भाग नहीं ले सकती है और गवाहों से पूछताछ नहीं कर सकती है या मामले पर बहस नहीं कर सकती है। यह तर्क दिया गया कि हालाँकि उन्हें व्यक्तिगत रूप से मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, लेकिन यह उन्हें ऐसा कोई कार्य करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है जो केवल एक कानूनी व्यवसायी ही करेगा। विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित पिछले आदेशों के संदर्भ में, निचली अदालत ने ऐसी आपत्तियों को सही ढंग से खारिज कर दिया था।

17.1 . इसके अलावा, इस मामले में उच्च न्यायालय की ओर से त्रुटियां केवल मुद्दे को गलत तरीके से तैयार करने तक ही सीमित नहीं हैं।

मदुपु हरिनारायण (ऊपर) में निर्णय का निर्धारण और गलत अनुप्रयोग। वास्तव में, पृष्ठभूमि विवरण में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 20.04.2018 और 14.12.2018 के पिछले आदेशों का संदर्भ भी अधूरा और गलत था। यह ध्यान दिया जाता है कि आदेश के अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय ने पिछले एस. रामचंद्र राव बनाम को पढ़ा।

एस. नागभूषण राव और ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

20.1 . इस मामले में प्रत्यर्थियों की ओर से इस मुद्दे पर लंबे समय तक तर्क दिए गए हैं कि न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में, एक अधिवक्ता वकालतनामे के बिना अभिवचन या प्रतिपरीक्षा नहीं कर सकता है; और बार काउंसिल नियमों के प्रभाव के संबंध में, विशेष रूप से पेशेवर आचरण और शिष्टाचार के मानकों पर। कई निर्णयों का उल्लेख किया गया है। यह प्रस्तुत करना कि इस न्यायालय और उच्च न्यायालय का न्यायशास्त्र अधिवक्ताओं को पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों के रूप में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देता है। हमारे विचार में, इस तरह की सभी दलीलें वर्तमान मामले के तथ्यों से पूरी तरह से असंगत हैं, इस सरल कारण से कि इस मुद्दे का मामला निचली अदालत और फिर उच्च न्यायालय द्वारा पिछले फैसलों से समाप्त होता है। हम उक्त निर्णयों को किसी भी तरह से वैधानिक जनादेश के खिलाफ काम करते हुए नहीं पा रहे हैं। विभिन्न विवाद कि [2022] 17 एस. सी. आर. की पत्नी

अपीलार्थी के एक अधिवक्ता होने के नाते हितों के टकराव की स्थिति का सामना करने की संभावना है और उस मामले में एक अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की उसकी अक्षमता जिसमें उसका प्रत्यक्ष आर्थिक हित होने की संभावना है, ये सभी अनावश्यक हैं।

जब इन तथ्यों के आलोक में देखा जाए कि इन मामलों में पारित बाध्यकारी आदेशों के अनुसार, अपीलार्थी की पत्नी केवल जी. पी. ए. धारक के रूप में उपस्थित होगी, न कि एक अधिवक्ता के रूप में।

20.2 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी और काउंटर की ओर से आग्रह किए गए अन्य विवादों पर विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है।

अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा। तथापि, हम प्रत्यर्थी की ओर से की गई प्रस्तुतियों में सुझाई गई आशंका पर ध्यान दे सकते हैं कि यदि 1961 के अधिनियम की धारा 32 का संचालन गैर-अधिवक्ताओं तक ही सीमित नहीं है, तो यह अतिरिक्त रूप से इसके लिए गुंजाइश पैदा कर सकता है -

बेईमान अधिवक्ता, जिन्हें अभ्यास से निलंबित किया गया हो सकता है या बार काउंसिल के अनुसार अन्य कदाचारों में शामिल हो सकते हैं भारत नियम, शक्ति के रूप में प्रकट होकर कानूनी परिणामों को दरकिनार करने के लिए

वकील धारकों का। प्रस्तुतियों की यह पंक्ति अनावश्यक और अति विस्तारवादी है; और यह हमारे सामने मुद्दे के वास्तविक मामले से संबंधित नहीं है। हालाँकि, हम यह देख सकते हैं कि 1961 के अधिनियम की धारा 32 के तहत अनुमति, अपनी प्रकृति से, मामले-दर-मामले के आधार पर दी जानी है और किसी विशेष मामले और किसी विशेष मामले के लिए संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट के संदर्भ में भी अस्वीकार की जा सकती है।

व्यक्ति। किसी भी मामले में, वर्तमान मामले की सभी विशेषताओं और कारकों के लिए, प्रस्तुतियों की इस पंक्ति की कोई प्रासंगिकता नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

आगे टिप्पणी करें।

21. जिन पर यहाँ ऊपर चर्चा की गई है, इन अपीलों के लिए

सफल होते हैं और अनुमति दी जाती है; विवादित सामान्य आदेश दिनांक 28.06.2019 को दरकिनार कर दिया जाता है; और परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांकित 07.02.2019 द्वारा पारित आदेशों को बहाल कर दिया जाता है। 21.1 . इस न्यायालय में इस मुकदमे की लागत विचारण न्यायालय द्वारा मुख्य कार्यवाही में निर्णय का पालन करेगी।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे और अनुराग भास्कर

(सहायकः अजय, एलसीआरए)